

भारत सरकार
कार्मिक, लोक-शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
कर्मचारी चयन आयोग
कर्मचारी चयन आयोग (कर्नाटक – केरला क्षेत्र)
(वेबसाइट <http://ssckkr.kar.nic.in>)
भर्ती विज्ञप्ति संख्या के के आर -1/2016

फाइल सं. S.600009/1/2016

अंतिम तिथि 26.09.2016

"सरकार एक ऐसा कार्यदल बनाने का प्रयास करती है जिसमें लिंग संतुलन प्रतिबिम्बित हो तथा महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ।"

इस विज्ञप्ति के पैरा 4 में उल्लिखित चयन पदों के लिए, इस विज्ञप्ति के पैरा 6 के अंतर्गत यथा-उल्लिखित राष्ट्रीयता/नागरिकता वाले पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं । केवल वे आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, जिन्हें वेबसाइट <http://ssconline.nic.in/sscselectionpost> के माध्यम से सफलतापूर्वक भरा गया है तथा जिनके ऑनलाइन आवेदन के प्रिंटआउट को समस्त अपेक्षित दस्तावेजों सहित कर्मचारी चयन आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्राप्त कर लिया गया है । आवेदन को ऑनलाइन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया दो चरणों में है-(i) पंजीकरण भाग और (ii) आवेदन भाग ।

2. अभ्यर्थियों को पद के लिए आवेदन करने से पूर्व भर्ती विज्ञप्ति को सावधानीपूर्वक पढ़ लेना चाहिए तथा यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस विज्ञप्ति में यथा-उल्लिखित समस्त पात्रता शर्तों जैसे आयु सीमा/ अनिवार्य योग्यता(अ.यो.)/अनुभव/जाति/श्रेणी इत्यादि को पूरा करते हैं । वे

अभ्यर्थी, जो पात्रता शर्तों को पूरा नहीं कर रहे हैं, उनकी अभ्यर्थिता को किसी सूचना के बिना भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है । आवेदकों की अभ्यर्थिता, भर्ती प्रक्रिया के सभी स्तरों पर पूर्णतः **अनंतिम** होगी ।

3. आवेदन की प्रस्थिति से लेकर उपयोक्ता विभाग को चयनित अभ्यर्थियों के नामांकन तक, जिसमें अनंतिम रूप से पात्र अभ्यर्थियों को ओ.एम.आर./कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए बुलावा पत्र भेजना भी शामिल हैं, इस भर्ती से संबंधित समस्त सूचना कर्मचारी चयन आयोग कर्नाटक – केरला क्षेत्र की वेबसाइट अर्थात् [http: http://ssckkr.kar.nic.in](http://ssckkr.kar.nic.in) पर उपलब्ध होगी । अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया से संबंधित नवीनतम सूचना प्राप्त करने के लिए उक्त वेबसाइट को समय-समय पर देखते रहें ।

टिप्पणी : अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में अपने सही और सक्रिय ई-मेल पते और मोबाइल नम्बर भरने की सलाह भी दी जाती है क्योंकि आयोग द्वारा समस्त पत्राचार केवल ई-मेल/एस.एम.एस. के माध्यम से ही किया जाएगा ।

4. पदों के ब्यौरे/विवरण

श्रेणी सं. केके10116

पद का नाम	सहायक (विधि)
स्पष्टीकरण	सामान्य केंद्र सेवा, ग्रुप-‘बी’ अराजपत्रित एवं अलिपिकवर्गीय
रिक्ति	04 (अनारक्षित-01, अन्य पिछड़े वर्ग-02, अनुसूचित जाति-01)
विभाग	विधि कार्य विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय में
आयु सीमा	30 वर्ष से कम। (भारत सरकार द्वारा समय- समय पर जारी आदेशों के अनुसार केंद्र सरकारी कर्मचारियों तथा विभागीय उम्मीदवारों, अ.जा., अ.पि.व. एवं पी.एच. उम्मीदवारों के लिए छूट दी जाएगी।)
वेतनमान	रु.9300-34800, ग्रेड पे रु.4600/- (छठवां वेतन आयोग के अनुसार)
अनिवार्य अर्हता	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की उपाधि या समतुल्य योग्यता (ii) राज्य विधि विभाग में कानूनी मामलों में तीन साल का अनुभव होना ज़रूरी है। या कानूनी मामलों में तीन साल का अनुभव युक्त केंद्र सरकारी कर्मचारी होना चाहिए। या योग्य कानूनी प्राक्टिशनर*** होना ज़रूरी है। टिप्पणी: *** योग्य कानूनी प्राक्टिशनर शब्द का अर्थ इस वाक्यांश के संबंध में वकील या अभिवक्ता के रूप में कम-से-कम दो साल की अनुभवी हो, या मुम्बई या कोलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में कम-से-कम दो साल की अनुभवी हो। टिप्पणी:1.सुयोग्य अभ्यर्थियों के अभाव में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जाएगी। टिप्पणी : 2.यदि अ.जा./अ.ज.जा. के लिए आरक्षित रिक्तियाँ भरने के लिए इन समुदायों से पर्याप्त संख्या में अपेक्षित अनुभव युक्त उम्मीदवारों के अभाव चयन की किसी भी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी पाए जाए तो कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार कारणों को लिखित में उल्लेख करते हुए अनुभव संबंधी योग्यता (योग्यताओं) में इन समुदायों के उम्मीदवारों को छूट दी जाएगी।
अपेक्षित अर्हता	शून्य
तैनाती जगह	अखिल भारतीय सेवा दायित्व सहित नई दिल्ली/मुम्बई/कोलकत्ता/चेन्नै/बेंगलूर

कार्य की अपेक्षाएँ	1. कानूनी सलाह/मुकदमेबाज़ी के संचालन के लिए विधि कार्य विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय के निर्दिष्ट मामलों पर पूर्वता डालना। 2. इस तरह के मामलों में टिप्पणी और मसौदा प्रस्तुत करने सहित कानूनी सलाह/मुकदमेबाज़ी के संचालन के लिए निर्दिष्ट मामलों का निपटान में (विधि कार्य विभाग), विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधिकारियों को सामान्य एवं सचिवालयीन सहायता प्रदान करना। 3. 'संदर्भ एवं अनुसंधान कार्य' जहाँ आवश्यक हो।
पी.एच (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवार के लिए अनुदेश (चाहे यह पद पी.एच (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त/अनुपयुक्त है) स्वीकार्य विकलांगता का विवरण सहित	यह पद निम्नलिखित पी.एच. श्रेणियों के लिए उपयुक्त माना गया है:- (i) एक पैर अफेक्टेड, (ii) दोनों पैर अफेक्टेड, (iii) एक हाथ और एक पैर (iv) दोनों पैर तथा एक हाथ (v) एक हाथ अफेक्टेड, (दा/बा)- इंपेर्ड रीच, पकड़ की कमज़ोरी, गतिविध्रमी (vi) आंशिक रूप से बधिर और (vii) अंधा, कम दृष्टि

पद का नाम	सहायक केंद्रीय आसूचना अधिकारी ग्रेड-1 (साईफर)
स्पष्टीकरण	सामान्य केंद्र सेवा, ग्रुप-'बी', अराजपत्रित, अलिपिकवर्गीय
रिक्ति	03- (अना-2, अ.जा.-1)
विभाग	आसूचना ब्यूरो, गृह मंत्रालय
आयु सीमा	30 से कम (केंद्र सरकार से समय-समय पर जारी अनुदेशों/आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को पाँच साल तक की और अ.जा. के लिए पाँच साल की छूट।)
वेतन मान	रु.9300-34800 + ग्रेड पे रु.4600/- (छठवां वेतन आयोग के अनुसार)
अनिवार्य अर्हता	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी स्नातक या कंप्यूटर विज्ञान में बी.टेक. या कंप्यूटर इंजीनियरी; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित में एम.एस.सी.; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी में एम.एस.सी.; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग में एम.एस.सी. (कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातक या गणित एक विषय के साथ बी.एस.सी सहित)
अपेक्षित योग्यता	C, C++ का प्रयोग करते हुए डाटा एन्क्रिप्शन तकनीक के सॉफ्टवेयर विकास में दो साल का अनुभव
तैनाती जगह	अ.भा.से.दा. सहित नई दिल्ली
कार्य की अपेक्षाएँ	- डिजिटल तकनीकी का प्रयोग करते हुए क्रिप्टोग्राफी या डिजिटल तकनीकी का प्रयोग करते हुए सेक्युर डाटा कम्यूनिकेशन में ज्ञान - सुरक्षित संचार एवं विश्लेषण के फाइल क्षेत्र में क्रिप्टोग्राफी और इसके अनुप्रयोग सहित इस पद के साथ संलग्न कर्तव्यों।
पी.एच (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवार के लिए अनुदेश (चाहे यह पद पी.एच (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवारों	यह पद पी.एच. के लिए अनुपयुक्त माना गया है।

के लिए उपयुक्त/अनुपयुक्त है) स्वीकार्य विकलांगता का विवरण सहित	
--	--

श्रेणी सं. केके10316

पद का नाम	अनुसंधान सहायक (पर्यावरण)
स्पष्टीकरण	सामान्य केंद्र सेवा, ग्रुप-‘बी’, अराजपत्रित, अलिपिकवर्गीय
रिक्ति	01-अनारक्षित
विभाग	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में।
आयु सीमा	30 (तीस) वर्ष से कम। (केंद्र सरकार से जारी अनुदेशों/आदेशों के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा./ओ.बी.सी./पी.एच. के उम्मीदवारों को छूट और सरकारी कर्मचारियों/विभागीय उम्मीदवारों को 5 साल तक की छूट।)
वेतनमान	पीबी-2, रु.9300-34800 + ग्रेड पे रु.4200/- (छठवां वेतन आयोग के अनुसार)
अनिवार्य अर्हता	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से पर्यावरण विज्ञान/भूमि विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/जीव विज्ञान/रसायन शास्त्र/जैव रसायन/जैव प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर या पर्यावरण विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी में इंजीनियरी/तकनीकी स्नातक।
अपेक्षित अर्हता	शून्य
तैनाती जगह	अ.भा.से.दा. सहित नई दिल्ली।
कार्य की अपेक्षाएँ	1. पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं की मंजूरी के लिए इसका अवलोकन करना। 2. पर्यावरण के प्रबंधन के उपायों का कार्यान्वयन संबंधी प्रगति की निगरानी करना। 3. विकास परियोजनाओं की मासिक स्थिति देखना। 4. संसदीय प्रश्नों, संसद की स्थायी समितियों से संबंधित डाटा की संग्रहण, संकलन एवं परितुलन करना। 5. परियोजना रिपोर्टों का अवलोकन करना। 6. प्रगति रिपोर्टों की तैयारी करना। 7. पर्यावरण एवं साईट क्लीएरेंस के लिए संक्षिप्त नोट की तैयारी तथा नया प्रस्ताव का मूल्यांकन करना। 8. संसदीय प्रश्नों में सहायता देना। 9. विशेषज्ञ समितियों की सेवा कार्य करना। 10. जारी परियोजनाओं के लिए ड्रॉफ्ट मंजूरी आदेश की तैयारी करना। 11. समय-समय पर नियत अन्य काम करना।

पी.एच (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवार के लिए अनुदेश (चाहे यह पद पी.एच (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त/अनुपयुक्त है) स्वीकार्य विकलांगता का विवरण सहित	यह पद ओ.एच./ एच.एच. और वी.एच. के लिए उपयुक्त माना गया है।
---	---

पद का नाम	अनुभाग अधिकारी (बागबानी)
स्पष्टीकरण	सामान्य केंद्र सेवा, ग्रुप बी, अराजपत्रित, अलिपिकवर्गीय।
रिक्ति	09 (अना.-06, अ.पि.व-03) (9 रिक्तियों में से एक पी.एच. के लिए आरक्षित है। (अर्थात ओ.एच. के लिए))
विभाग	केंद्रीय जनकार्य विभाग, निदेशक का कार्यालय (बागबानी) (एनडीआर), सीपीडब्ल्यूडी, नई दिल्ली
आयु सीमा	30 से कम। (केंद्र सरकार से जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को पाँच साल तक और अ.पि.व. के लिए तीन साल तक की छूट।)
वेतन मान	रु. 9300-34800 ग्रेड पे रु.4200/- (छठवां वेतन आयोग के अनुसार)
अनिवार्य अर्हता	(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि या वनस्पति विज्ञान या बागबानी में बी.एस.सी. डिग्री; और किसी सरकारी विभाग या स्वायत्त या संविधिक निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित या शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध किसी कंपनी में सजावटी बागबानी सहित बागबानी में दो साल का अनुभव युक्त या (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बागबानी में विशेषज्ञता सहित कृषि में एम.एस.सी. डिग्री या परिदृश्य वास्तुकला या पुष्पकृषि में एम.एस.सी. डिग्री।
अपेक्षित योग्यता	शून्य
तैनाती जगह	भारत में किसी भी जगह (अ.भा.से.दा. सहित)
कार्य की अपेक्षाएँ	1. कोठियों, आवासीय बस्तियों के बगीचों, पार्कों और सड़क के दोनों ओर के वृक्षों का विकास और अनुरक्षण का ध्यान रखने का दायित्व इस कार्य के लिए चुने गये अनुभाग अधिकारी का ही होगा। 2. अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की उपस्थिति लगाने और उनमें कार्य बांटने की जिम्मेदारी भी अनुभाग अधिकारी की होगी। 3. औजारों और संयंत्रों (टूल एण्ड प्लान्ट्स) तथा उसके द्वारा भण्डार के लिए खरीदे गये सामान का लेखा रखने के लिए भी वह जिम्मेदार होगा। 4. अनुभाग अधिकारी में सामान्यतः 40 से 60 मालियों से अधिक से अधिक कार्य करवाने की क्षमता होनी चाहिए और वह स्वयं हृष्ट पुष्ट शरीर वाला हो तथा सभी प्रकार के मौसमों में कार्य करने की क्षमता रखता हों और जैसा कि समय-समय पर विभाग द्वारा निर्देश निर्धारित

	किये जायेंगे। कार्य का समय – पूर्वाह्न 9:00 बजे 1:00 बजे तक और अपराह्न 2:00 बजे से 5:00 बजे तक।
पी.एच (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवार के लिए अनुदेश (चाहे यह पद पी.एच (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त/अनुपयुक्त है) स्वीकार्य विकलांगता का विवरण सहित	यह पद ओ.एच. के लिए उपयुक्त माना गया है। (एच.एच. और वी.एच. इस पद के लिए पात्र नहीं होंगे।) 9 रिक्तियों में से एक पी.एच. के लिए आरक्षित है। (अर्थात ओ.एच. के लिए)

पद श्रेणी सं. केके10516

पद का नाम	तकनीकी सहायक (अर्थशास्त्र)
स्पष्टीकरण	सामान्य केंद्र सिविल सेवा, ग्रुप-‘बी’, अराजपत्रित, अलिपिकवर्गीय
रिक्ति	05 (अनारक्षित-04 और अन्य पिछड़े वर्ग-01)
विभाग	कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय में।
आयु सीमा	30 (तीस) वर्ष से कम। (केंद्र सरकार से जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. /शा.वि./विभागीय उम्मीदवारों/केंद्र सरकार के कर्मचारियों को छूट।)
वेतनमान	पी.बी.-2 रु.9300-34800 + ग्रेड पे रु.4200/- (छठवां वेतन आयोग के अनुसार)
अनिवार्य अर्हता	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र एक विषय के साथ स्नातक की उपाधि। टिप्पणी: अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय से प्राप्त उनके पत्र सं. 12025/2/2008-स्था.॥ ईएस दिनांक 29.04.2016 में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार “स्नातक स्तर पर तीनों साल में अर्थशास्त्र मुख्य विषय के रूप में पढ़ना अनिवार्य है।” टिप्पणी: सुयोग्य अभ्यर्थियों के अभाव में कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार कारणों को लिखित में उल्लेख करते हुए अर्हता में छूट दी जाएगी।
अपेक्षित अर्हता	शून्य
तैनाती जगह	नई दिल्ली। (अ.भा.से.दा. सहित)

कार्य की अपेक्षाएँ	कृषि-आर्थिक डाटा का संकलन तथा पोस्टिंग और अन्य सामान्य काम करना।
पी.एच (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवार के लिए अनुदेश (चाहे यह पद पी.एच (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त/अनुपयुक्त है) स्वीकार्य विकलांगता का विवरण सहित	यह पद एच.एच. के लिए उपयुक्त माना गया है। (यह पद ओ.एच. और वी.एच. उम्मीदवारों के लिए अनुपयुक्त माना गया है।)

पद का नाम	कार्यालय अधीक्षक
स्पष्टीकरण	सामान्य केंद्र सेवा, ग्रुप-‘बी’ अराजपत्रित एवं अलिपिकवर्गीय
रिक्ति	17(अनारक्षित -10, अन्य पिछड़ा वर्ग- 04, अनुसूचित जाति- 02, अनुसूचित जनजाति – 01) (कुल 17 रिक्तियों में से 01 (एक) पद ओ.एच. – (अस्थि विकलांग - एक हाथ, एक पैर, दोनों पैर)के लिए आरक्षित है।)
विभाग	महापंजीयक का कार्यालय, भारत, गृह मंत्रालय में।
आयु सीमा	30 वर्ष से कम (केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष तक की छूट।)
वेतनमान	रु.9300-34800 +ग्रेड पे रु.4200/- (छठवां वेतन आयोग के अनुसार)
अनिवार्य अर्हता	(iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयसेन्नातक की उपाधि। (iv) प्रशासन, लेखा और बजट मामलों में दो साल का अनुभव। टिप्पणी:1.सुयोग्य अभ्यर्थियों के अभाव में कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार कारणों को लिखित में उल्लेख करते हुए योग्यताओं में छूट दी जाएगी। टिप्पणी : 2.यदि अ.जा./अ.ज.जा. के लिए आरक्षित रिक्तियाँ भरने के लिए इन समुदायों से पर्याप्त संख्या में अपेक्षित अनुभव युक्त उम्मीदवारों के अभाव चयन की किसीभी अवस्था में पाए जाए तो सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुभव संबंधी योग्यता (योग्यताओं) में इन समुदायों के उम्मीदवारों को छूट दी जाएगी।
अपेक्षित अर्हता	शून्य
तैनाती जगह	आंध्र प्रदेश, असाम, चंडीगढ़ (कें.प्र.), दिल्ली, गोवा, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्यप्रदेश, मेघालय, ओडीशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, और उत्तराखंड के जनगणना कार्य निदेशालय।
	1. स्थापना और लेखा अनुभाग के काम का निरीक्षण और निगरानी करना। 2. सभी प्रकार की दावा यानी छु.या.रि., या.भ., अग्रिम पेशगी आदि उच्च अधिकारियों के सम्मुख अनुमोदन/मंजूरी के लिए प्रस्तुत करने से पहले इसकी संवीक्षा तथा जांच करना। 3. बजट आवंटन के अनुसार व्यय पर नियंत्रण करना। 4. कोषपाल द्वारा बनाए रखे जा रहे रोकड़ बही और अन्य दस्तावेजों की जांच करना। 5. आरक्षण रोस्टर की तैयारी तथा अनुरक्षण करना।

कार्य की अपेक्षाएँ	6. रिक्ति की स्थिति का अनुरक्षण तथा अद्यतन करना। 7. वि.प.स.नोट आदि की तैयारी सहित विभागीय पदोन्नति समिती का आयोजन के लिए व्यवस्था करना। 8. बजट अनुमान की तैयारी में सहायता करना। 9. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अभिवेदन और अदालती मामलों से व्यवहार करना। 10. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आयकर का परिकलन करना तथा तिमाही/वार्षिक रिटर्न फाइल करने के लिए सूचना एकत्र करना।
पी.एच (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवार के लिए अनुदेश (चाहे यह पद पी.एच (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त/अनुपयुक्त है) स्वीकार्य विकलांगता का विवरण सहित	यह पद पी.एच. के लिए उपयुक्त माना गया है। {अर्थात् ओ.एच. (एक बांह, एक पैर, दोनों पैर)/एच.एच./वी.एच. (अंधा, कम दृष्टि)} (कुल 17 रिक्तियों में से 01 (एक) पद ओ.एच. – (अस्थि विकलांग - एक हाथ, एक पैर, दोनों पैर)के लिए आरक्षित है।)

पद का नाम	अनुदेशक (समुद्री अभियांत्रिकी)
स्पष्टीकरण	सामान्य केंद्र सेवा, ग्रुप-‘बी’, अराजपत्रित, अलिपिकवर्गीय
रिक्ति	1 – (ओ.एच.)अनारक्षित वर्ग (ओ.एल. और ओ.ए.)
विभाग	सी.आई.एफ.एन.ई.टी, कोच्चिन, पशुपालन विभाग, डायरी एवं मत्स्य पालन, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय में।
वेतनमान	पीबी-2: रु.9300-34800 + ग्रेड पे रु.4200/- (छठवां वेतन आयोग के अनुसार)
आयु सीमा	30 वर्ष से कम। (पीएच के लिए छूट 10 साल तक, ओबीसी / एससी / एसटी उम्मीदवारों के लिए कोई आयु सीमा में छूट लागू नहीं और सरकारी कर्मचारियों / विभागीय उम्मीदवारों के लिए केन्द्र सरकार निर्देश या आदेश द्वारा जारी किए गए के अनुसार के लिए 5 (पांच) आयु सीमा में छूट
अनिवार्य अर्हता	1. मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से मरीन इंजीनियरी (समुद्री अभियांत्रिकी) या यांत्रिक इंजीनियरी या मोटर यान इंजीनियरी में स्नातक। 2. मान्यता प्राप्त ** किसी यांत्रिक या मरीन कर्मशाला या संस्थान में मरीन डीसल इंजिन के प्रचालन एवं रखरखाव में एक साल का अनुभव। ** सी.आई.एफ.एन.ई.टी, कोच्चि से प्राप्त पत्र सं.13-11/2015-प्रशा दिनांक 06.04.2016 में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार मान्यता प्राप्त कर्मशाला/संस्थान विभिन्न डीसल इंजिन के प्रचालन/रखरखाव/विनिर्माण एवं मरम्मत आदि के साथ बर्ताव करने तथा उपर्युक्त क्षेत्र में अपना काम करने में केंद्र/राज्य सरकार या सरकार द्वारा प्राधिकृत/अनुमोदित किसी एजेंसी के तहत पंजीकृत होना चाहिए। टिप्पणी 1: सुयोग्य अभ्यर्थियों के अभाव की स्थितिमें कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जाएगी। टिप्पणी 2: यदि अ.जा./अ.ज.जा. के लिए आरक्षित रिक्तियाँ भरने के लिए इन समुदायों से पर्याप्त संख्या में अपेक्षित अनुभव युक्त उम्मीदवारों के अभाव चयन की किसी भी अवस्था में पाए जाए तो कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुभव संबंधी योग्यता (योग्यताओं) में इन समुदायों के उम्मीदवारों को छूट दी जाएगी।
अपेक्षित अर्हता	शिपबॉर्ड मरीन यांत्रिक उपस्करों एवं सिस्टम्स के प्रचालन और रखरखाव, शिप मरम्मत या निर्माण या डीसल इंजिन्स, हार्डड्रॉल्लिक्स कर्मशाला तकनीकी आदि जैसे मरीन इंजीनियरी विषयों का अध्यापन में

	दो साल का अनुभव।
तैनाती जगह	अ.भा.से.दा. सहित कोच्चिन (केरल)।
कार्य की अपेक्षाएँ	कर्मशाला तकनीकी में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए कक्षाएं आयोजित करना, मुख्य अनुदेशक (मरीन इंजीनियरी), वरिष्ठ अनुदेशक (मरीन इंजीनियरी), और यांत्रिक मरीन अभियंता को प्रशिक्षण देने में और मरीन इंजीनियरी कर्मशाला और जलयान रखरखाव के कार्य करने में सहायता देना। फिशिंग वेस्सल बोर्ड करने पर या व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने पर संस्थागत/पोस्ट-संस्थागत प्रशिक्षुओं के साथ किनारे अधिकारी भागीदारी के रूप में मछली पकड़ने की समुद्र यात्रा का उत्तरदायित्व लेना। उच्च अधिकारियों द्वारा नियत अन्य काम करना।
पी.एच (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवार के लिए अनुदेश (चाहे यह पद पी.एच (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त/अनुपयुक्त है) स्वीकार्य विकलांगता का विवरण सहित	यह पद अनारक्षित वर्ग के ओ.एच. (ओ.एल. और ओ.ए.) के लिए आरक्षित एवं उपयुक्त माना गया है।

पद का नाम	अनुसंधान सहायक (अ.स.)
स्पष्टीकरण	सामान्य केंद्र सेवा, ग्रुप-‘सी’, अराजपत्रित, अलिपिकवर्गीय
रिक्ति	02- (अनारक्षित) (02 रिक्तियों में से एक लोकोमोटर विकलांगता सहित ओ.एच. के लिए आरक्षित है)
विभाग	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक संविधिक निकाय
आयु सीमा	18-27 के बीच (केंद्र सरकार से समय-समय पर जारी अनुदेशों/आदेशों के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा./ओ.बी.सी. और पी.एच. के लिए छूट और सरकारी कर्मचारियों को 40 साल तक की छूट।)
वेतन मान	पीबी-2, रु.9300-34800 + ग्रेड पे रु.4200/- (छठवां वेतन आयोग के अनुसार)
अनिवार्य अर्हता	(i) सामाजिक विज्ञान/विधि/सांख्यिकी में स्नातक की उपाधि (अधिमानत: ऑनर्स) (ii) सरकारी विभाग या किसी प्रतिष्ठित संगठन में अनुसंधान सहायक के रूप में दो साल का अनुभव।
अपेक्षित योग्यता	विधि स्नातक (एक पद: उर्दू का ज्ञान अनिवार्य)
तैनाती जगह	नई दिल्ली
कार्य की अपेक्षाएँ	अल्पसंख्यकों से संबंधित सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर अनुसंधान करना तथा आयोग में प्राप्त शिकायत/याचिका/आरोप का ध्यान देना और अन्य संबंधित काम करना।
पी.एच (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवार के लिए अनुदेश (चाहे यह पद पी.एच (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त/अनुपयुक्त है) स्वीकार्य विकलांगता का विवरण सहित	(i) दो रिक्तियों में एक लोकोमोटर विकलांगता सहित ओ.एच. के लिए आरक्षित है। (ii) यह पद ओ.एच. के लिए उपयुक्त माना गया है। (वी.एच. और एच.एच. इस पद के लिए पात्र नहीं होंगे।)

पद श्रेणी सं. केके10916

पद का नाम	डाटा एंट्री ऑपरेटर, ग्रेड 'बी'
स्पष्टीकरण	सामान्य केंद्र सेवा, ग्रुप-'सी', अराजपत्रित, अलिपिकवर्गीय
रिक्ति	01 – दृ.बा. (अनारक्षित)
विभाग	अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय में।
आयु सीमा	18-25 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों को 40 साल तक की छूट।)
वेतनमान	रु.5200-20200, ग्रेड पे रु.2800/- (छठवां वेतन आयोग के अनुसार)
अनिवार्य अर्हता	i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। ii) डाटा एंट्री काम के लिए प्रति घंटे 8000 (आठ हजार) कुंजी डिप्रेशन या इससे ज्यादा स्पीड होना अनिवार्य। टिप्पणी:1. सक्षम प्राधिकारी द्वारा आयोजित कंप्यूटर पर गति परीक्षा से डाटा एंट्री काम के लिए प्रति घंटे 8000 की-डिप्रेशन की गति का निर्णय लिया जाएगा। टिप्पणी:2. सुयोग्य अभ्यर्थियों के अभाव में कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जाएगी।
अपेक्षित अर्हता	इस पद पर उन व्यक्तियों को अधिमान दिया जाएगा जो स्नातक स्तर पर अर्थशास्त्र या सांख्यिकी एक विषय के रूप में पढा हो।
तैनाती जगह	अ.भा.से.दा.सहित नई दिल्ली।
कार्य की अपेक्षाएँ	अग्रो एकोनोमिक डाटा के संकलन, फीडिंग, सारणीयन और पोस्टिंग और अन्य नेमी काम करना।

पी.एच (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवार के लिए अनुदेश (चाहे यह पद पी.एच (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त/अनुपयुक्त है) स्वीकार्य विकलांगता का विवरण सहित	यह पद दृ.बा. के लिए आरक्षित है। ओ.एच. और एच.एच. इस पद के लिए पात्र नहीं है।
---	--

पद श्रेणी सं. केके11016

पद का नाम	तकनीकी लिपिक (अर्थशास्त्र)
स्पष्टीकरण	सामान्य केंद्र सिविल सेवा, ग्रुप-‘सी’, अराजपत्रित, अलिपिकवर्गीय
रिक्ति	06 (अनारक्षित-03, अन्य पिछड़े वर्ग-02, और अनुसूचित जाति-01) (यह पद एच.एच. के लिए उपयुक्त माना गया है।) (यह पद ओ.एच. और वी.एच. उम्मीदवारों के लिए अनुपयुक्त माना गया है।)
विभाग	कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय में।
आयु सीमा	18-27 (केंद्र सरकार से समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./एच.एच./विभागीय उम्मीदवारों/केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ऊपरी आयु सीमा में छूट।)
वेतनमान	पी.बी.-1 रु.5200-20200 + ग्रेड पे रु.2400/- (छठवां वेतन आयोग के अनुसार)
अनिवार्य अर्हता	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण।
अपेक्षित योग्यता	उच्च माध्यमिक स्तर पर वाणिज्य एक विषय के रूप में पढ़े हुए उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी।
तैनाती जगह	नई दिल्ली। (अ.भा.से.दा. सहित)
कार्य की अपेक्षाएँ	कृषि-आर्थिक डाटा का संकलन तथा पोस्टिंग और अन्य सामान्य काम करना।

पी.एच (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवार के लिए अनुदेश (चाहे यह पद पी.एच (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त/अनुपयुक्त है) स्वीकार्य विकलांगता का विवरण सहित	यह पद एच.एच. के लिए उपयुक्त माना गया है। (यह पद ओ.एच. और वी.एच. उम्मीदवारों के लिए अनुपयुक्त माना गया है।)
---	--

पद श्रेणी सं.केके11116:

पद का नाम	प्रयोगशाला सहायक
स्पष्टीकरण	सामान्य केंद्र सेवा, ग्रुप-‘सी’ अराजपत्रित एवं अलिपिक वर्गीय
रिक्ति	02-अनारक्षित (यह पद ओ.एच./एच.एच.के लिए उपयुक्त माना गया है।) {ओ.एच.(ओ.ए./ओ.एल.) और एच.एच. –आंशिक बहुरा (पी.डी.)}
विभाग	राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र में।
आयु सीमा	25 वर्ष से कम। (केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 साल तक की छूट।)
वेतनमान	रु.5200-20200, ग्रेड पे रु.1900/- (छठवां वेतन आयोग के अनुसार)
अनिवार्य अर्हता	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से विज्ञान या कृषि विषय सहित इंटरमीडिएट या उच्च माध्यमिक या 12 वीं पास; (ii) उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ), 1985 के अधीन पंजीकृत किसी भी प्रयोगशाला अथवा किसी सरकारी संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में प्रयोगशाला कार्य का तीन साल का अनुभव।
अपेक्षित अर्हता	रसायन शास्त्र या जीवविज्ञान या कृषि में स्नातक की डिग्री या कृषि में डिप्लोमा।
तैनाती जगह	बेंगलूर (अ.भा.से.दा.सहित)
कार्य की अपेक्षाएँ	प्रयोगशाला में जैव उर्वरक, जैवखाद, वर्मीकल्चर और विभिन्न ओर्गानिक इनपुट की गुणता परीक्षण में सहायता करना, प्राथमिक नमूना की तैयारी द्वारा जैविक खेती से सम्बंधित प्रभावी सक्षम जीवों के विभिन्न प्रकारों के आइसोलेशन और प्रमाणीकरण में सहायता करना, उपस्कर का अनुरक्षण और समारक्षण करना और विभिन्न प्रकार के पिघलाव और जल मिश्रण करने में मदद करना। घरेलु मुद्रण, जिल्दसाजी द्वारा जैविक खेती आदि पर तकनीकी साहित्य की

	तैयारी करने में सहायता करना और अन्य सम्बंधित काम में मदद या सहायता करना।
पी.एच (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवार के लिए अनुदेश (चाहे यह पद पी.एच (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त/अनुपयुक्त है) स्वीकार्य विकलांगता का विवरण सहित	यह पद ओ.एच./एच.एच.के लिए उपयुक्त माना गया है। {ओ.एच.(ओ.ए./ओ.एल.) और एच.एच. -आंशिकबहरा (पी.डी.)}

टिप्पणी-I : इन रिक्तियों को संबंधित मांगकर्ता कार्यालयों द्वारा भेजी गई मांग के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित किया गया है । मांगकर्ता कार्यालयों द्वारा रिक्तियां वापस लेने/रिक्तियों में परिवर्तन के लिए कर्मचारी चयन आयोग उत्तरदायी नहीं होगा ।

टिप्पणी-II : वे अभ्यर्थी, जो एक से अधिक पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना चाहिए तथा प्रत्येक पद के परीक्षा शुल्क का भुगतान करना चाहिए ।

5. प्रयुक्त संक्षिप्तियाँ :

क.च.आ.: कर्मचारी चयन आयोग, मं: मंत्रालय, वि: विभाग, का: कार्यालय, आयु: आयु-सीमा, अ.यो. :अनिवार्य योग्यता, वां.यो. : वांछनीय योग्यता, प्रा.तै.: प्रारंभिक तैनाती, अ.भा.से.दा. : अखिल भारतीय सेवा दायित्व, का.अ.: कार्य अपेक्षाएं, अना : अनारक्षित, सा: सामान्य, अपिव : अन्य पिछड़ा वर्ग, अ.जा : अनुसूचित जाति, अ.ज.जा : अनुसूचित जनजाति, भू.पू.सै : भूतपूर्व सैनिक, शा.दि. : शारीरिक दिव्यांग, अ.दि. : अस्थि दिव्यांग, श्र.दि. : श्रवण दिव्यांग, दृ.दि: : दृष्टि दिव्यांग, ए.बां: एक बांह प्रभावित, ए.पै.: एक पैर प्रभावित, दो.पै.: दोनो पैर प्रभावित, आं.ब.: आंशिक बधिर, अ.दृ.: अल्प दृष्टि, के.स.सि.क. : केन्द्रीय सरकार सिविलयन कर्मचारी ल.न.: लागू नहीं, अ.से.उ: अन्य सेवारत उम्मीदवार ।

6. राष्ट्रीयता/नागरिकता:

अभ्यर्थी या तो :

- (क) भारत का नागरिक हो, या
- (ख) नेपाल की प्रजा हो, या
- (ग) भूटान की प्रजा हो , या
- (घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने की इच्छा से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में आ गया हो, या
- (ङ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, यूगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टंगानिका व जंजीबार), जांबिया, मालावी, जायरे, इथोपिया और वियतनाम से प्रवर्जन किया हो।

6.1 **बशर्ते** कि ऊपरोक्त (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) श्रेणियों का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा **पात्रता प्रमाणपत्र** जारी किया गया हो ।

6.2 ऐसे अभ्यर्थी, जिनके मामले में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक है, उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, परन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने के बाद ही उसे दिया जाएगा ।

7. **परीक्षा शुल्क, शुल्क के भुगतान से छूट तथा शुल्क के भुगतान का तरीका ।**

क. परीक्षा शुल्क

"भारतीय स्टेट बैंक नेट बैंकिंग/क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड" अथवा भारतीय स्टेट बैंक चालान के माध्यम से 100 रु. (मात्र सौ रूपए)

किसी अन्य तरीके से भुगतान किए गए शुल्क को स्वीकार नहीं किया जाएगा । भुगतान किए गए शुल्क को किन्हीं भी परिस्थितियों में लौटाया नहीं जाएगा । आवेदन किए गए पद की प्रत्येक श्रेणी के लिए शुल्क का अलग-अलग भुगतान किया जाए ।

ख. शुल्क के भुगतान से छूट

सभी महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से दिव्यांग श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों एवं आरक्षण के पात्र भूतपूर्व सैनिकों को वर्तमान सरकारी आदेशों के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट प्रदान की गई है ।

8. ऑनलाइन आवेदन तथा शुल्क का भुगतान कैसे करें :

i) अभ्यर्थियों को पद की प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा और प्रत्येक श्रेणी के लिए शुल्क का भुगतान करना होगा।

ii) अभ्यर्थी नोट करें कि केवल <http://ssconline.nic.in/sscselectionpost> पर भरे गए ऑनलाइन आवेदनों को ही स्वीकार किया जाएगा । किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदनों को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

iii) अभ्यर्थी किसी पद के लिए केवल एक बार आवेदन करें । किसी एक पद के लिए अनेक आवेदनों की स्थिति में, केवल अंतिम आवेदन पर विचार किया जाएगा तथा सभी पिछले/पूर्व आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

iv) ऑनलाइन आवेदनों को भरने की कार्यविधि अनुबंध-1(क) में दी गई है ।

v) आवेदन प्रपत्र को ऑनलाइन भरने के पश्चात तथा परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के बाद, अभ्यर्थी को आवेदन प्रपत्र का प्रिंट आउट लेना चाहिए, उस पर हस्ताक्षर करने चाहिए तथा उस पर उसी फोटोग्राफ की प्रति चिपकानी चाहिए, जिसका उपयोग ऑनलाइन प्रपत्र को भरते समय किया गया था और इसके साथ आयु, अनिवार्य योग्यता, अनुभव, जहां इसे अनिवार्य योग्यता के रूप में विहित किया गया है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी

जाति/श्रेणी(अजा/अजजा/अपिव/शा.दि.(पी डब्ल्यू डी)/भूपूसै- उसी प्रारूप में जैसा कि विज्ञप्ति में दिया गया है) के समर्थन में प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों की स्व-अनुप्रमाणित प्रतियां संलग्न करें और उसे नीचे उल्लिखित पते पर क्षेत्रीय निदेशक को भेज दें ताकि यह शुल्क के भुगतान के लिए निर्धारित अंतिम तिथि से दस दिनों के भीतर क्षेत्रीय कार्यालय पहुंच जाए ।

क्षेत्रीय निदेशक (के.के.आर.)

कर्मचारी चयन आयोग

कर्नाटक, केरल क्षेत्र

पहला तल, “ई” विंग, केन्द्रीय सदन,

कोरमंगला, बेंगलुरु-५६० ०३४.

vi) ओ.एम.आर./कंप्यूटर आधारित परीक्षा के पश्चात्, अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदनों में दी गई सूचना को आयोग द्वारा मूल दस्तावेजों के साथ सत्यापित किया जाएगा । दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान, यदि यह पाया जाता है कि आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई सूचना गलत है तो उसकी अभ्यर्थिता को तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा । ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता को अस्वीकार करने के विरुद्ध किसी अपील अथवा अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा । अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उन्होंने आवेदन प्रपत्र में सही सूचना भरी है ।

vii) **महत्वपूर्ण** : अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में अपने सही और सक्रिय ई-मेल पते और मोबाइल नम्बर भरने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आयोग द्वारा समस्त पत्राचार केवल ई-मेल/एस.एम.एस. के माध्यम से ही किया जाएगा ।

9. ऑनलाइन आवेदन भाग को भरने की अंतिम तिथि 26.09.2016 (5.00 बजे अपराह्न) है । ऑनलाइन भुगतान करने की अंतिम तिथि 26.09.2016 (5.00 बजे अपराह्न) है ।

10. अनिवार्य योग्यता(अ.यो.) और आयु सीमा के लिए निर्णायक तिथि :

(i) प्रत्येक पद के लिए अनिवार्य योग्यता(अ.यो.) और आयु सीमा का इस विज्ञप्ति के पैरा-4 में उल्लेख किया गया है ।

(ii) आयु और अनिवार्य योग्यता(अ.यो.)/अनुभव का निर्धारण करने के लिए निर्णायक तिथि इस आवेदन अर्थात् 26.09.2016 (5.00 बजे अपराह्न) (के पंजीकरण भाग/आवेदन भाग को भरने की अंतिम तिथि होगी ।

(iii) पद के लिए आवेदन करने से पूर्व, अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनके पास अनुभव सहित अनिवार्य योग्यता है जहां कहीं इसे अनिवार्य योग्यता के रूप में विहित किया गया है और वे ऊपर पैरा 10(ii) में उल्लिखित निर्णायक तारीख को आयु सीमा को भी पूरा करते हैं ।

(iv) उन पदों के लिए जहां एक विशिष्ट अवधि के लिए किसी विशेष क्षेत्र/विधा में अनुभव का एक अनिवार्य योग्यता के रूप में उल्लेख किया गया है, आवेदकों को आवेदन प्रपत्र के प्रिंट आउट के साथ सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त उस क्षेत्र/विधा में अनुभव होने के अपने दावे के समर्थन में प्रमाणपत्र की स्व-अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए, ऐसा न करने पर उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

(v) यदि अभ्यर्थी दावा करते हैं कि उनकी शैक्षणिक योग्यताएं, विहित अनिवार्य योग्यताओं के समकक्ष हैं तो समकक्षता के समर्थन में भारत सरकार अथवा सक्षम प्राधिकारी जहां से उन्होंने शैक्षणिक

योग्यता प्राप्त की थी, द्वारा जारी आवश्यक दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों(संख्या और दिनांक सहित आदेश/ पत्र) को प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व अभ्यर्थियों का है, ऐसा न करने पर उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

- (vi) अनिवार्य योग्यता के रूप में संगत भाषा में अपेक्षित प्रवीणता के संबंध में अभ्यर्थी ने उस भाषा का मैट्रिक स्तर तक अवश्य अध्ययन किया हो और यदि संगत भाषा मैट्रिक में एक विषय के रूप में नहीं पढ़ाई जाती है तो उक्त भाषा आवेदक की मातृभाषा अवश्य होनी चाहिए ।

टिप्पणी: मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार मुक्त विश्वविद्यालयों/दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से प्राप्त डिग्री दूरस्थ शिक्षा परिषद भारत सरकार से मान्यताप्राप्त होनी चाहिए । तदनुसार जब तक कि यह डिग्री उस अवधि के लिए मान्यता प्राप्त नहीं होती, जिसमें कि अभ्यर्थी ने संगत योग्यता प्राप्त की है, तो उसे शैक्षिक योग्यता के प्रयोजन से स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

11. आयु-सीमा और ऊपरी आयु-सीमा में छूट :

आयु-सीमा का पैरा-4 में पद की प्रत्येक श्रेणी के सामने उल्लेख किया गया है ।

(क) आयु का प्रमाण

(क) आयोग द्वारा आयु के निर्धारण के लिए मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही स्वीकार की जाएगी तथा बाद में इसमें किसी परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और न ही इसकी अनुमति दी जाएगी ।

(ख) उपरी आयु-सीमा में छूट:

आवेदकों की पात्र श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में स्वीकार्य छूट नीचे दी गई है :

ऊपरी आयु-सीमा में छूट केवल तभी स्वीकार्य है जब आवेदक ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के 'श्रेणी कोड' उसका दावा करते हैं और ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के कॉलम संख्या में श्रेणी कोड को भी सही तरीके से भरते हैं ।

'श्रेणी कोड', 'श्रेणी' तथा इस विज्ञप्ति के पैरा 10 में यथा-उल्लिखित 'ऊपरी आयु-सीमा के अतिरिक्त आयु में स्वीकार्य(अनुज्ञेय) छूट' नीचे दी गई है :-

गणना की तिथि को आयु में छूट का दावा करने के लिए श्रेणी-कोड :कोड सं.	श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त आयु में स्वीकार्य(अनुज्ञेय) छूट
समूह 'ख' एवं समूह 'ग' पदों के लिए		
01	अजा	05 वर्ष
02	अजजा	05 वर्ष
03	अ पि व	03 वर्ष
04	शा.दि.	10 वर्ष
05	शा.दि.(अपिव)	13 वर्ष
06	शा.दि.(अजा)	15 वर्ष
07	शा.दि.(अजजा)	15 वर्ष
08	भूतपूर्व सैनिक(अनारक्षित/सामान्य)	आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 03 वर्ष
09	भूतपूर्व सैनिक (अपिव)	आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 06 वर्ष (3वर्ष +3वर्ष)

10	भूतपूर्व सैनिक (अजा)	आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 08 वर्ष(3वर्ष +5वर्ष)
11	भूतपूर्व सैनिक (अजजा)	आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 08 वर्ष(3वर्ष +5वर्ष)
समूह 'ख' पदों के लिए		
12	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (सामान्य/अनारक्षित) जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	5वर्ष
13	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अपिव) जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	8वर्ष (5+3) वर्ष
14	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अजा) जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	10 वर्ष(5+5) वर्ष
15	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अजजा) जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	10 वर्ष(5+5) वर्ष
समूह 'ग' पदों के लिए		
16	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (सामान्य/अनारक्षित) जिन्होंने अन्तिम तिथि तक कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	40वर्ष की आयु तक
17	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अपिव) जिन्होंने अन्तिम तिथि तक कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	43वर्ष की आयु तक
18	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अजा) जिन्होंने अन्तिम तिथि तक कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	45वर्ष की आयु तक
19	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अजजा) जिन्होंने अन्तिम तिथि तक कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	45वर्ष की आयु तक

समूह'ख'और समूह'ग'पदों के लिए		
20	अभ्यर्थी जो साधारणतया जम्मू व कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे हों (सामान्य/अनारक्षित)।	05 वर्ष
21	अभ्यर्थी जो साधारणतया जम्मू व कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे हों (अपिव)।	08 वर्ष
22	अभ्यर्थी जो साधारणतया जम्मू व कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे हों (अजा)।	10 वर्ष
23	अभ्यर्थी जो साधारणतया जम्मू व कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे हों (अजजा)।	10 वर्ष
समूह'ख'और समूह'ग'पदों के लिए		
24	विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो (अनारक्षित)	35 वर्ष की आयु तक
25	विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो (अपिव)	38 वर्ष की आयु तक
26	विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो (अजा)	40 वर्ष की आयु तक
27	विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो (अजजा)	40 वर्ष की आयु तक

28	रक्षा कार्मिक, जो किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा उपदवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए हों तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए हो (सामान्य/अनारक्षित)	5वर्ष
29	रक्षा कार्मिक, जो किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा उपदवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए हों तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए हो (अपिव)	8वर्ष (5+3) वर्ष
30	रक्षा कार्मिक, जो किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा उपदवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए हों तथा	10 वर्ष(5+5) वर्ष
31	रक्षा कार्मिक, जो किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा उपदवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए हों तथा	10 वर्ष(5+5) वर्ष
32	अन्य	समय समय पर जारी भारत सरकार के आदेशानुसार ।

टिप्पणी : आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए आयु में छूट केवल ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों के मामले में स्वीकार्य है । आरक्षित श्रेणी के आवेदक, जो अनारक्षित श्रेणी के पद के लिए आवेदन करते हैं, वें आयु में छूट के हकदार नहीं है ।

12. शुल्क में रियायत, आयु में छूट तथा आरक्षण इत्यादि की मांग के लिए शर्तें

- क. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(अजा/अजजा) आवेदकों के लिए
- शुल्क में रियायत, आयु में छूट तथा आरक्षण इत्यादि की मांग कर रहे अजा/अजजा आवेदकों को अपने आवेदन प्रपत्र के प्रिंट आउट के साथ प्रारूप के अनुसार (इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-II) सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त (इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-I) अपेक्षित प्रमाणपत्र निरपवाद रूप से संलग्न करना होगा तथा यह सुनिश्चित कर लें कि उनकी उप जातियां/समुदाय, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को या उससे पूर्व भारत सरकार द्वारा अनुमोदित हैं, अन्यथा शुल्क में

रियायत, आयु में छूट और आरक्षण इत्यादि के उनके दावों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

ख. अन्य पिछड़े वर्ग(अपिव) आवेदकों के लिए

i. अन्य पिछड़े वर्ग के आवेदक जो भारत सरकार के समय-समय पर यथा-संशोधित स्थायी अनुदेशों के अनुसार क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं हैं और आयु में छूट तथा आरक्षण इत्यादि की मांग कर रहे हैं, उन्हें अपने आवेदन प्रपत्र के प्रिंट आउट के साथ प्रारूप के अनुसार (इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-III) सक्षम प्राधिकारी (इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-I) द्वारा जारी अपेक्षित प्रमाणपत्र निरपवाद रूप से संलग्न करना होगा तथा प्रारूप [इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-III(क)] के अनुसार एक घोषणा पत्र भी संलग्न करना होगा । वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके समुदाय विभिन्न राज्यों के लिए भारत सरकार द्वारा यथा-अनुमोदित अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल हैं ।

ii. इस विज्ञप्ति के पैरा-9 में यथा उल्लिखित आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को, अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणी के अधीन आवेदकों की गैर-क्रीमी लेयर प्रस्थिति की गणना की तारीख के रूप में माना जाएगा । तथापि अभ्यर्थियों के लाभ के लिए, आयोग द्वारा परीक्षा की तिथि अथवा उससे पूर्व जारी किए गए अन्य पिछड़े वर्ग प्रमाणपत्रों को भी स्वीकार किया जाएगा । अभ्यर्थियों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके अपिव प्रमाणपत्र परीक्षा की तिथि से तीन वर्ष से पूर्व जारी न किए गए हो ।

अन्यथा, उनके अन्य पिछड़े वर्ग प्रस्थिति के साथ-साथ आयु में छूट और आरक्षण के दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता/आवेदनों पर सामान्य श्रेणी(अना) के अधीन विचार किया जाएगा।

ग. शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) (दिव्यांग व्यक्तियों)(अस्थि दिव्यांग/श्रवण दिव्यांग/दृष्टि दिव्यांग) आवेदकों के लिए :

क्या यह पद शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पाया गया है अथवा नहीं तथा दिव्यांगता की स्वीकार्य प्रकृति का उल्लेख

पद की प्रत्येक श्रेणी के सामने किया गया है । शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों को केवल उन पदों के लिए आवेदन करना चाहिए, जिन पदों के लिए वे पात्र हैं ।

- i. केवल वे शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) व्यक्ति, जिनकी दिव्यांगता 40% अथवा अधिक है, शुल्क में रियायत, आयु में छूट, आरक्षण इत्यादि के लिए पात्र हैं ।
- ii. उन्हें अपने आवेदन प्रपत्र के प्रिंट-आउट के साथ, विज्ञप्ति में दिए गए प्रारूप [परिशिष्ट-VI(प्रपत्र-II)/(प्रपत्र-III)/ प्रपत्र-IV]] के अनुसार अपेक्षित प्रमाणपत्र निरपवाद रूप से संलग्न करना होगा, अन्यथा शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) प्रस्थिति के उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा ।

घ. शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष अनुदेश ।

क. चालीस प्रतिशत से कम की दृष्टि दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को दृष्टि दिव्यांग अभ्यर्थी नहीं माना जाएगा । एक आँख वाले और आंशिक रूप से दृष्टिहीन अभ्यर्थी जो आवर्धक लैन्स(मैग्नीफाइंग ग्लास) से अथवा बिना आवर्धक लैन्स(मैग्नीफाइंग ग्लास) के सभी अभ्यर्थियों के लिए तैयार किए गए सामान्य प्रश्नपत्र पढ़ने में सक्षम हैं और जो आवर्धक लैन्स(मैग्नीफाइंग ग्लास) की सहायता से उत्तर लिखना/दर्शाना चाहते हैं, उन्हें परीक्षा भवन में आवर्धक लैन्स(मैग्नीफाइंग ग्लास) का प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी तथा वे किसी प्रलिपिक की सेवाओं के हकदार नहीं होंगे । ऐसे अभ्यर्थियों को स्वयं अपना आवर्धक लैन्स (मैग्नीफाइंग ग्लास) लाना होगा। चालीस प्रतिशत और उससे अधिक की दृष्टि दिव्यांगता वाले दृष्टि दिव्यांग (दृ.दि.) अभ्यर्थी तथा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थी ओ.एम.आर./कंप्यूटर आधारित परीक्षा में आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रलिपिक की सहायता का लाभ उठा सकते हैं बशर्ते कि आवेदन पत्र को भरते समय आयोग के समक्ष ऐसा अनुरोध किया गया हो । प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थियों को दृ.दि. अभ्यर्थियों के समुत्तल्य प्रलिपिक एवं अतिरिक्त समय की

सुविधा प्रदान की जाएगी । प्रश्नपत्र और उत्तर पत्रक ब्रेल में मुहैया नहीं कराए जाएंगे । दृष्टिहीन तथा चालीस प्रतिशत या इससे अधिक की दृष्टि दिव्यांगता वाले आंशिक रूप से दृष्टिहीन अभ्यर्थियों सहित दृष्टि दिव्यांग अभ्यर्थी अंकगणितीय समस्याओं को हल करने के लिए स्वयं अपना टेलर फ्रेम और कागज के साथ ब्रेल स्लेट ला सकते हैं । परीक्षा परिसर के अन्दर द.दि./ प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ किसी परिचर को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(ख) अतिरिक्त समय का प्रावधान : दृष्टि दिव्यांग अभ्यर्थियों तथा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थियों को आयोग के निर्णयानुसार परीक्षा में अतिरिक्त समय दिया जाएगा ।

ड. भूतपूर्व सैनिक आवेदकों के लिए विशेष अनुदेश ।

(i) शुल्क में रियायत, आयु में छूट और आरक्षण इत्यादि की मांग कर रहे भूतपूर्व सैनिक आवेदकों को अपने आवेदन प्रपत्र के प्रिंट आउट के साथ सक्षम प्राधिकारी(इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-1) से प्राप्त प्रारूप(इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-V) के अनुसार अपेक्षित प्रमाणपत्र निरपवाद रूप से संलग्न करना होगा और प्रारूप[इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट- V(क)] के अनुसार एक घोषणापत्र भी प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा शुल्क में रियायत, आयु में छूट और आरक्षण इत्यादि के उनके दावों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(ii) आरक्षण के लाभों को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि कदाचार या अक्षमता के कारण सेवा से बरखास्तगी या सेवामुक्ति जैसे को छोड़कर उसने इस पद/सेवा के लिए आवेदन पत्र भेजने के संगत समय पर भूपूसै का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया हो और/अथवा उसे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी सबूतों के द्वारा अपनी इस अर्जित हकदारी को सिद्ध

करने की स्थिति में होना चाहिए कि वह इस विज्ञप्ति के पैरा-9 में यथा निर्धारित आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र सेनाओं की विनिर्दिष्ट सेवा की अवधि पूरी कर लेगा।

(च) भूतपूर्व सैनिक : भूपूसै से आशय उस व्यक्ति से है-

- (i) जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में लड़ाकू सैनिक अथवा गैर लड़ाकू सैनिक के रूप में किसी भी पद पर सेवा की हो, तथा
 - (क) जो पेंशन प्राप्त हो जाने के बाद उस सेवा से निवृत्त हुआ हो। इसमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो अपने अनुरोध पर कार्यमुक्त/सेवानिवृत्त हुए हों किंतु अपनी पेंशन लेने के बाद; या
 - (ख) जिसे सैनिक सेवा/अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सेवा से चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किया गया हो तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य अक्षमता पेंशन दी गई हो; या
 - (ग) जिसे कर्मचारियों में कटौती के परिणामस्वरूप उस सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो; या
- (ii) जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण सेवामुक्त या बर्खास्त न होकर किसी अन्य कारण से सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा उपदान दिया गया हो और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक शामिल हैं, नामतः **निरंतर मूर्त सेवा** अथवा अलग-अलग अवधियों में की गई अर्हक सेवा वाले **पेंशनधारी** ; अथवा
- (iii) सैन्य डाक सेवा के कार्मिक जो कि नियमित सेना के अंग हैं और जो अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तित हुए बिना सैन्य डाक सेवा से पेंशन सहित सेवा निवृत्त हुए हैं अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण अथवा सैन्य सेवा

के कारण चिकित्सा आधार पर अक्षम होकर सैन्य डाक सेवा से कार्यमुक्त हुए हैं और उन्हें चिकित्सा अथवा अन्य निःशक्तता पेंशन मिली हुई है; अथवा

(iv) ऐसे कार्मिक जो 14 अप्रैल, 1987 से पूर्व सैन्य डाक सेवा में 06 माह से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर थे; अथवा

(v) प्रांतीय सेना के कार्मिक सहित सशस्त्र सेनाओं के वीरता पुरस्कार विजेता ; अथवा

(vi) भर्ती हुए भूतपूर्व सैनिक जिन्हें चिकित्सा आधार पर निकाला गया है अथवा कार्यमुक्त किया गया है और जिन्हें चिकित्सा निःशक्तता पेंशन दी गई है।

(छ) सशस्त्र सेनाओं में एक भूतपूर्व सैनिक की "कॉल अप सर्विस" की अवधि आयु में छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से नियमानुसार सशस्त्र सेनाओं में प्रदत्त सेवा के रूप में भी मानी जाएगी ।

(i) मैट्रिक उत्तीर्ण भूतपूर्व सैनिक (जिसमें वह भूतपूर्व सैनिक शामिल है, जिसने भारतीय सैन्य शिक्षा का विशेष प्रमाणपत्र या नौसेना या वायु सेना में तदनुरूपी प्रमाणपत्र प्राप्त किया है) जिसने इस विज्ञप्ति के पैरा-9 में यथा निर्धारित आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि को संघ की सशस्त्र सेनाओं में कम से कम 15 वर्ष की सेवा की हो, को समूह 'ग' पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र समझा जाएगा । अतः ऐसे गैर स्नातक भूपूँस, जिन्होंने इस विज्ञप्ति के पैरा-8 में यथा निर्धारित आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 15 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की हो, उन्हें मानद स्नातक आवेदक नहीं माना जाएगा ।

(ii) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24.4.92 के का.जा.संख्या 36034/6/90-स्था.एससीटी के अनुसार ऐसे भूतपूर्व सैनिक आवेदक, जिन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिक को दिए जाने वाले आरक्षण के लाभ को प्राप्त करके नियमित आधार पर केन्द्र सरकार के अंतर्गत सिविल पदों पर पहले से ही रोजगार प्राप्त कर लिया है, वे उच्चतर ग्रेड में अन्य रोजगार प्राप्त

करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आयु में छूट प्राप्त करने के पात्र है, लेकिन उच्चतर ग्रेड में अन्य रोजगार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आरक्षण के लाभ के पात्र नहीं होंगे । वे भूतपूर्व सैनिकों को स्वीकार्य शुल्क में रियायत के लिए भी पात्र नहीं होंगे । ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को इस भर्ती के लिए अपेक्षित शुल्क का भुगतान करना होगा ।

तथापि, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14 अगस्त, 2014 के का.ज्ञा.सं. 36034/1/2014-स्था(आर.) के अनुसार, भारत सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक किसी सिविल नौकरी में पदभार ग्रहण करने से पूर्व विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करता है तो वह किसी उत्तरवर्ती नौकरी के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण के लाभ को प्राप्त कर सकता है । तथापि, इस लाभ को प्राप्त करने के लिए, कोई भूतपूर्व सैनिक जैसे ही किसी सिविल नौकरी में पदभार ग्रहण करता है उसे विभिन्न रिक्तियों, जिनके लिए उसने प्रारंभिक सिविल नौकरी में पदभार ग्रहण करने से पूर्व आवेदन किया था, के आवेदनों के तिथि-वार ब्यौरों के बारे में संबंधित नियोक्ता को स्व-घोषणा पत्र/वचन पत्र देना चाहिए । इसके अतिरिक्त, यह लाभ केवल उन रिक्तियों के संबंध में उपलब्ध होगा जो सीधी भर्ती आधार पर भरी जाती हैं तथा जहां भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण लागू है ।

(iii) सेवा लिपिक, जो अपनी कलर सेवा के अंतिम वर्ष में है, वे शुल्क के भुगतान से छूट के पात्र नहीं हैं ।

(ज) केन्द्रीय सरकार सिविल कर्मचारी(सीजीसीई)आवेदकों के लिए अनुदेश

(i) केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारी, जिन्होंने इस विज्ञप्ति के पैरा-9 में यथा-उल्लिखित आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि को नियमित आधार(और तदर्थ आधार पर न हो) पर कम से कम 03 वर्ष की निरन्तर सेवा प्रदान की हो और उसे भारत सरकार के किसी विभाग/कार्यालय में सिविल पद धारण करते हुए केन्द्रीय सरकार की सेवा में तक कार्यरत रहना चाहिए जब तक कि

अभ्यर्थी को उस कार्यालय/विभाग से नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त नहीं हो जाता, जहां अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से संस्तुति की गई है ।

- (ii) आयु में छूट प्राप्त करने के लाभ का दावा करने के लिए उन्हें अपने आवेदन प्रपत्र के प्रिंट आउट के साथ सक्षम प्राधिकारी(इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-I) से प्रारूप (इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-IV) के अनुसार अपेक्षित प्रमाणपत्र, निरपवाद रूप से संलग्न करना होगा तथा एक घोषणा पत्र (इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-IV(क)) भी प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा आयु में छूट प्राप्त करने के उनके दावों पर विचार नहीं किया जाएगा ।
- (iii) किसी पद के लिए आवेदन कर रहे केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों को अपने आवेदन प्रपत्रों के प्रिंट आउट के साथ एक घोषणा पत्र (इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट- IV (क)) कि उन्होंने अपने कार्यालय में सूचित कर दिया है तथा साथ ही वे दस्तावेजों के सत्यापन के समय अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में होंगे, निरपवाद रूप से संलग्न करना होगा, ऐसा न करने पर उनकी अभ्यर्थिता को भर्ती प्रक्रिया के उसी स्तर पर ही अथवा किसी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है ।

अभ्यर्थी नोट करें कि यदि परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन कर रहे अभ्यर्थियों की अनुमति रोकने के संबंध में आयोग द्वारा उनके नियोक्ता से कोई सूचना प्राप्त होती है, तो उनके आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया जाएगा ।

13. दस्तावेजों का सत्यापन

- क. आवेदकों द्वारा अपने आवेदन प्रपत्रों में दी गई सूचना के समर्थन में, अपनी शैक्षिक योग्यता, अनुभव, प्राप्तांकों का प्रतिशत, आयु का प्रमाण, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी श्रेणी का प्रमाण[अजा/अजजा/अपिव/शा.दि.(पी डब्ल्यू डी)/भूपूसे-

विज्ञप्ति में दिए गए प्रारूप में] के बारे में, अपने आवेदनों के प्रिंट आउट के साथ अपने समस्त प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों की स्व-अनुप्रमाणित सुपाठ्य प्रतियां अवश्य संलग्न की जाए, अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता सरसरी तौर पर अथवा भर्ती प्रक्रिया के किसी स्तर पर अस्वीकार की जा सकती है ।

ख. वे ओ.एम.आर./कंप्यूटर आधारित परीक्षा के पश्चात् दस्तावेजों के सत्यापन के समय अपने आवेदन प्रपत्रों में दी गई सूचना के समर्थन में समस्त मूल प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की स्थिति में हों, ऐसा न करने पर उनकी अभ्यर्थिता को उसी स्तर पर अथवा किसी उत्तरवर्ती स्तर पर निरस्त किया जा सकता है ।

ग. अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे कपटपूर्वक अजा/अजजा/ अपिव/ शा.दि.(पी डब्ल्यू डी)/भूपूसे/सी.जी.सी.ई. दर्जे का दावा करते हैं अथवा इन श्रेणियों के लिए स्वीकार्य आरक्षण/आयु में छूट का दावा करने के लिए अथवा अनिवार्य योग्यता/ अनुभव/आयु के प्रमाण के समर्थन में जाली प्रमाणपत्र/दस्तावेज/अंकतालिकाएं प्रस्तुत करते हैं तो आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं से उन्हें स्थायी तौर पर वारित किया जा सकता है ।

14. आवेदन-पत्र को निरस्त/रद्द करने के कारण :

निम्नलिखित सभी या किसी भी स्थिति में नियुक्ति प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर आवेदन-पत्र/ अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता सरसरी-तौर पर निरस्त/रद्द की जा सकती है :-

- i. आवेदन पत्र अपूर्ण होने की स्थिति में,
- ii. हस्ताक्षरों में किसी भी प्रकार की भिन्नता होने पर, (मुद्रित आवेदन-प्रपत्र और अन्य दस्तावेजों में किए गए हस्ताक्षर (पूर्ण, अल्प नहीं) अनिवार्य रूप से एक जैसे होने चाहिए),
- iii. आवेदन-पत्र में साफ और स्पष्ट फोटोग्राफ न होने की स्थिति में,

- iv. परीक्षा शुल्क का भुगतान न करने की स्थिति में , यदि कोई छूट न प्रदान की गई हो, तो
- v. अनुदेशों के अनुसार फीस का भुगतान न करने पर
- vi. कम/अधिक आयु वाले अभ्यर्थी,
- vii. शैक्षिक योग्यताएं, अनुभव, प्राप्त अंकों का प्रतिशत, आयु प्रमाणपत्र, श्रेणी प्रमाणपत्र [अजा/अजजा/अपिव/शा.दि.(पीडब्ल्यूडी)/भूपूसै] के बारे में अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन-पत्र में दी गई सूचना के समर्थन में मुद्रित आवेदन प्रपत्रों सहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए सभी संगत प्रमाणपत्र/दस्तावेजों की स्व-सत्यापित सुपाठ्य प्रतियों का अग्रेशन न करने पर,
- viii. आवेदन-पत्र की प्राप्ति के बाद होने की तारीख को अपेक्षित शैक्षिक योग्यता/अनुभव/श्रेणी स्थिति न होने की स्थिति में,
- ix. विषय तथ्यों के बारे में गलत सूचना या मिथ्या विवरण देना या छिपाना
- x. संगत दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियों सहित मुद्रित आवेदन प्रपत्र प्राप्त न होना/विलम्ब से प्राप्त होना
- xi. परीक्षा भवन/हाल में मोबाइल फोन/सहायक उपसाधनों को ले जाना,
- xii. अन्य कोई भी अनियमितता के कारण
- xiii. दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान मूल प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करना

टिप्पणी : । अभ्यर्थियों को परीक्षा परिसर/हाल के अन्दर मोबाइल फोन/किसी भी अन्य संसूचना यंत्रों को लाने की अनुमति नहीं होगी और इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को कर्मचारी चयन आयोग की भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से, आपराधिक प्रक्रियाओं के शुरू होने के बिना, वंचित कर दिया जाएगा ।

टिप्पणी : ॥ अभ्यर्थियों को अपने वाल पैन/एचबी पेंसिल, रबर साथ लाने होंगे । अभ्यर्थियों को उपर्युक्त विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार जैसे पुस्तके,

नोटशीट, खुली शीट, मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आदि के अलावा किसी भी वस्तु को परीक्षा हाल में ले जाने की अनुमति नहीं होगी ।

15. चयन प्रक्रियाएं :-

क. सरकार द्वारा जूनियर स्तर के पदों के लिए होने वाले साक्षात्कारों को हटा लिया गया है । तदनुसार, चयन पदों की भर्ती ओएमआर/कंप्यूटरीकृत आधारित वस्तुनिष्ठ बहुल विकल्प परीक्षा के माध्यम से की जाएगी ।

ख. आवेदन पत्र पर अभ्यर्थियों द्वारा दर्शाए गए अनुसार अनिवार्य शैक्षिक योग्यताओं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर अभ्यर्थियों को ओएमआर/कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए सूची-बद्ध चयननित जाएगा । अभ्यर्थियों को 1:25 के अनुपात में चयनित किया जाएगा अर्थात् प्रत्येक रिक्ति के लिए, पात्र अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्धता के आधार पर, 25 अभ्यर्थी होंगे । पांच के गुणकों में, प्राप्त अंकों के प्रतिशत के उपयुक्त निर्धारित प्रतिशत का प्रयोग करने से चयनित अभ्यर्थियों की संख्या कुछ अधिक या कुछ कम भी हो सकती है ।

ग. ओएमआर/कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का सूची बद्ध चयन करने के प्रयोजन से, आयोग विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा अपनाए गए मानदंड का पालन करेगा और अंतिम वर्ष की अंकतालिका विवरण में दर्शाए गए अनुसार अंकों के प्रतिशत को आकलन में लेगा । आयोग, अभ्यर्थियों द्वारा भिन्न भिन्न विषयों/ग्रजुएशन के प्रत्येक वर्ष में प्राप्त किए गए अंकों को जमा करके अंकों के प्रतिशत को आकलन करने की जिम्मेवारी नहीं लेगा, इसके बजाए अंतिम वर्ष की अंकतालिका में दर्शाए गए अनुसार अंकों के प्रतिशत/सीजीपीए को आकलन में लेगा ।

घ. जहां पर अंकों के संगत प्रतिशत को दर्शाए बिना, अभ्यर्थी की मेरिट सीजीपीए में अंतिम वर्ष की अंकतालिका में दर्शायी गई हैं तो

आयोग, यदि किसी भी संगत प्रतिशत का आकलन करना हो, प्रमाण-पत्र में विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा दर्शाए मानदंड का अनुकरण करेगा। अन्य सभी मामलों में आयोग(x)9.5 से गुणा करके सीजीपीए(जैसा कि अंतिम वर्ष की अंकतालिका विवरण में दर्शाया गया है) के परिवर्तन(कनवर्जन) सूत्र का प्रयोग करेगा।

ड. आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध चयनित करने के लिए अपनाया गया मानदंड होगा। इस प्रकार के सूचीबद्ध चयन के मानदंड के विरुद्ध कोई भी अपील या अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

च. अभ्यर्थी द्वारा उनके आवेदन पत्र में दी गई सूचना को आयोग द्वारा ओएमआर/कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के पश्चात् मूल दस्तावेज के साथ सत्यापित किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के दौरान यदि यह पाया जाता है कि आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना गलत है तो उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। अभ्यर्थिता की ऐसी निरस्तीकरण के बारे में किसी भी अपील अथवा अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्होंने आवेदन पत्र में सही सूचना भरी है।

16. परीक्षा की प्रणाली

(क) ऐसे पद जिसमें अनिवार्य योग्यता मैट्रिकलूशन है, उस परीक्षा में प्रत्येक एक अंक वाले 150 प्रश्न होंगे जिसके निम्नलिखित चार घटक होंगे:-

सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति	:	25 प्रश्न
संख्यात्मक अभिरूचि	:	25 प्रश्न
सामान्य अंग्रेजी	:	50 प्रश्न
सामान्य जानकारी	:	50 प्रश्न

(ख) ऐसे पद जिसमें अनिवार्य योग्यता उच्चतर माध्यमिक है, उस परीक्षा में प्रत्येक एक अंक वाले 200 प्रश्न होंगे जो निम्नानुसार हैं:-

सामान्य बुद्धिमत्ता	:	50 प्रश्न
परिमाणात्मक अभिरूचि	:	50 प्रश्न
अंग्रेजी भाषा	:	50 प्रश्न
सामान्य जानकारी	:	50 प्रश्न

(ग) ऐसे पद जिसमें अनिवार्य योग्यता किसी भी विषय में स्नातक तथा स्नातक/स्नातोक्तर डिग्री (किसी भी विषय में विशेषज्ञता) है, उस परीक्षा में प्रत्येक एक अंक वाले 200 प्रश्न होंगे जो निम्नलिखित विषयानुसार होंगे।:-

सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति	:	50 प्रश्न
सामान्य जानकारी	:	50 प्रश्न
परिमाणात्मक अभिरूचि	:	50 प्रश्न
अंग्रेजी परिज्ञान	:	50 प्रश्न

प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 नकारात्मक अंक होंगे।

(घ) जहाँ अनिवार्य योग्यता में कौशल परीक्षा जैसे टंकण/डाटा एंट्री/कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा इत्यादि विहित हैं , वहां ये आयोजित की जाएगी जो अर्हक स्वरूप की होगी।

(ङ) अंतिम योग्यता सूची ओएमआर/कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर तैयार की जाएगी।

(च) बराबरी (टाई) मामलों का निपटान

जहां दो अथवा अधिक अभ्यर्थी ओ एम आर/कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में एक समान अंक प्राप्त करते हैं तो निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा टाई मामलों का निपटान किया जाएगा:

- i) जन्म तिथि को देखकर अर्थात् आधिक आयु वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखा जाएगा।
- ii) अभ्यर्थी के प्रथम नाम के वर्णानुक्रम पर विचार करते हुए।

महत्वपूर्ण टिप्पणी: चयन पदों के लिए ओएमआर/कम्प्यूटर आधारित परीक्षा चयनित शहरों/केन्द्रों पर ही आयोजित की जाएगी तथा आयोग परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को किसी भी निर्दिष्ट केन्द्र पर बुलाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। परीक्षा केन्द्र के आबंटन के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा केन्द्र के परिवर्तन के लिए किसी अनुरोध/अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।

नियुक्ति के लिए संस्तुति

- i. आयोग को अभ्यर्थी की प्रत्येक श्रेणी (अर्थात् अजा/अजजा/अपिव/ शा.दि. (शा.दि.व्यक्ति)/भूतपू.सै./ सामान्य (अना) की प्रत्येक श्रेणी के लिए, जहाँ भी लागू हो कम्प्यूटर आधारित/ओएमआर आधारित बहुविकल्प ओ एम आर/कम्प्यूटर आधारित परीक्षा/कौशल परीक्षा में पृथक रूप से न्यूनतम अर्हक अंक नियत करने का पूर्ण विवेकाधिकार होगा।
- ii. परीक्षा तथा कौशल परीक्षा के पश्चात् जहाँ भी लागू हो आयोग ओएमआर/कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता सूची तैयार करेगा। आयोग ने ओएमआर/कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हक कट-ऑफ अंक निर्धारित किए हैं। योग्यता सूची की स्थिति के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक कट-ऑफ अंक प्राप्ति के अध्यधीन नियुक्ति के लिए विज्ञापित रिक्तियों की संख्या जितने अभ्यर्थियों को संस्तुत किया जाएगा।
- iii. अजा.अजजा तथा अपिव श्रेणी के उन अभ्यर्थियों जिनका शिथिल मानकों(अर्थात् आयु सीमा और शॉर्ट लिस्टिंग मापदंड में छूट) के बिना अपनी योग्यता से चयन होता है उन्हें

रिक्तियों की आरक्षण कोटे में समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे अजा, अजजा तथा अपिव अभ्यर्थियों को समग्र योग्यता सूची में उनकी स्थिति के अनुसार सामान्य/अनारक्षित रिक्तियों में समायोजित किया जाएगा। आरक्षित रिक्ति, यदि कोई विज्ञापित की गई हैं तो उसे योग्यता सूची में कम स्थिति वाले पात्र अजा. अजजा तथा अपिव अभ्यर्थियों में से अलग से भरा जाएगा।

- iv. शा.दि.(दिव्यांग व्यक्ति) अभ्यर्थी जो इस प्रकार की श्रेणियों के लिए नियत चयन और शार्टलिस्टिंग मानदंड में छूट लिए बिना अपनी संबंधित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए नियत मानदंडों को पूरा करते हैं। उन्हें अनारक्षित रिक्ति के प्रति संस्तुत किया जा सकता है बशर्ते कि वह पद दिव्यांगता की उस विशेष श्रेणी के व्यक्ति के लिए उपयुक्त पाया गया हो।
- v. भूतपूर्व सैनिक अथवा शा.दि.(दिव्यांग जन) श्रेणी का अभ्यर्थी जो शिथिल मानक के आधार पर अर्हता प्राप्त करता है उसके नाम पर केवल उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा।
- vi. जहाँ तक कि भूतपूर्व-सैनिक/शा.दि. अभ्यर्थी से संबंधित मामलों का संबंध है आरक्षित अथवा अनारक्षित पदों के लिए आयु में छूट अनुज्ञेय है, तथा ऐसी छूट को आयु से संबंधित शिथिल मानदंड नहीं कहा जा सकता है।
- vii. परीक्षा में सफलता ही नियुक्ति के लिए अधिकार प्रदान नहीं करती है जब तक कि सरकार ऐसी जांच/दस्तावेज सत्यापन, जो आवश्यक समझी जाए, के पश्चात् संतुष्ट न हो कि अभ्यर्थी सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है।

17. नौकरी के अवसरों में बेरोजगारों की अधिक सुलभता की सरकारी पहल के अनुसरण में आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय अपनी-अपनी वेबसाइट पर विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने वाले उन गैर-चयनित अभ्यर्थियों का विवरण अपलोड करेंगे। जो अर्हक परीक्षा में

उनके द्वारा प्राप्त अंकांे सहित अभ्यर्थियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हक कट-ऑफ अंकों को प्राप्त कर रहे है। इसका उद्देश्य यह है कि अन्य निजी/सार्वजनिक एजेंसी, यदि वे चाहे तो अपने संगठन में पदों की भर्ती के लिए इस डाटा को प्रयोग कर सकते हैं । इस उद्देश्य के लिए अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में विकल्प चुनना होगा। ऐसे अभ्यर्थियों का डाटा, जो प्रकटीकरण योजना का विकल्प नहीं भरते हैं, वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं किया जाएगा।

18. जिस व्यक्ति ने:

- क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है जिसका/जिसकी पति/पत्नी जीवित है, या
- ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह करने का अनुबंध किया है, तो उसे सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा, बशर्ते कि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष के लिए लागू वैयक्तिक कानून के अनुसार स्वीकार्य है और ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं, तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

19. अभ्यर्थी का अच्छा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य

अभ्यर्थी का मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए तथा उसे ऐसे किसी भी शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जिससे सेवा के अधिकारी के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशलतापूर्वक निष्पादन में बाधा पहुंचने की संभावना हो। जो अभ्यर्थी सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए चिकित्सा जांच में इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं करेंगे उनकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। केवल नियुक्ति के लिए विचार किए जाने वाले अभ्यर्थियों की ही चिकित्सा जांच की जाएगी।

टिप्पणी: दिव्यांग भूतपूर्व रक्षा सेवा कार्मिकों के मामले में रक्षा सेवा डिमोबिलाइजेशन मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया स्वस्थता प्रमाण-पत्र नियुक्ति के प्रयोजन हेतु पर्याप्त माना जाएगा।

20. दुरुपयोग के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई :

- (i) अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि उन्हें आवेदन भरते समय कोई गलत विवरण नहीं देना चाहिए अथवा कोई महत्वपूर्ण

जानकारी नहीं छुपानी चाहिए । अभ्यर्थियों को यह चेतावनी भी जाती है कि उन्हें किसी भी मामले में प्रस्तुत किए गए किसी दस्तावेज या अनुप्रमाणित प्रमाणित प्रतिलिपि में किसी प्रविष्टि में परिवर्तन या किसी प्रकार से हेरफेर करने का प्रयास नहीं करना चाहिए न ही उन्हें हेर फेर किए गए /जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहिए । यदि कोई गलती अथवा विसंगति पाई जाती है, तो इस विसंगति के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

(ii) निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के संबंध में उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई/3वर्ष तक वारित किए जाने के पूर्वाग्रह के बिना आयोग की परीक्षा से जहाँ भी आवश्यक हो उनकी अभ्यर्थिता भर्ती के किसी भी चरण में सरसरी तौर पर निरस्त कर दी जाएगी :

- (i) परीक्षा केन्द्र के परिसरों में मोबाइल फोन एवं अन्य सामग्री तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजिट अपने पास रखने पर, चाहें इनका प्रयोग हो रहा है या बन्द हो ।
- (ii) कदाचार में लिप्त पाए जाने पर ।
- (iii) परीक्षा भवन में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर
- (iv) किसी भी प्रकार से अपनी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन प्राप्त किया हो ।
- (v) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्यसाधन कराया हो ।
- (vi) जाली दस्तावेज अथवा ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, जिनमें हेर-फेर किया गया हो ।
- (vii) गलत अथवा झूठे वक्तव्य दिए हैं, अथवा किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया गया है ।
- (viii) परीक्षा के लिए अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया हो ।
- (ix) परीक्षा हॉल में पर्यवेक्षक, निरीक्षक अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि के साथ दुर्व्यवहार किया हो ।

- (x) परीक्षा संचालन के दौरान परीक्षा भवन से उत्तर-पुस्तिका अपने साथ उठाकर ले गया हो या इसे परीक्षा के दौरान अप्राधिकृत व्यक्ति को दिया हो ।
- (xi) परीक्षा के संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों को परेशान किया हो या उन्हें शारीरिक क्षति पहुंचाई हो ।

21. पक्षप्रचार:

किसी भी रूप में पक्ष प्रचार करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

22. आयोग का निर्णय अंतिम :

पात्रता, आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षा(ओं) के आयोजन, परीक्षा केन्द्रों के आबंटन तथा चयन संबंधी सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पूछताछ/पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा ।

23. न्यायालय/न्यायाधिकरण का क्षेत्राधिकार

इस भर्ती के संबंध में किसी भी विवाद के लिए अदालतों / अधिकरणों बेंगलुरु (बंगलौर) स्थित कर्मचारी चयन आयोग, कर्नाटक, केरल क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालय के जगह पर अधिकारिता रखने वाले अधीन हो जाएंगे, यानी न्यायालयों / बेंगलुरु / एर्नाकुलम (कोच्चि) में स्थित न्यायाधिकरण ।

परिशिष्ट-य

क्र.सं.	परिशिष्ट सं.	जाति/समुदाय/श्रेणी		सक्षम प्राधिकारी
1.	परिशिष्ट-I(क)	आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देश/आवेदन भरने के लिए निर्देश		
2.	परिशिष्ट-I ।	अ.जा/अ.ज. जा.	i	जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/ कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/उप कलेक्टर/ प्रथम श्रेणी बैतनिक मजिस्ट्रेट/ उप-मण्डलीय मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/ तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यपालिका मजिस्ट्रेट।
			ii	मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट
			iii	कम से कम तहसीलदार के रैंक का राजस्व अधिकारी
			iv	उस क्षेत्र का उप मंडलीय अधिकारी जहां आवेदक तथा उसका परिवार सामान्यतः रहता है।
			टिप्पणी:	
3.	परिशिष्ट-III	अपिव	i	जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी बैतनिक मजिस्ट्रेट/उप-मण्डलीय मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त /प्रथम श्रेणी वैतनिक

				मजिस्ट्रेट के रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए ।
			ii	मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट
			iii	कम से कम तहसीलदार के रैंक का राजस्व अधिकारी
			iv	उस क्षेत्र का उप मंडलीय अधिकारी जहां आवेदक तथा उसका परिवार सामान्यतः रहता है।
			टिप्पणी:	आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि अभ्यर्थी के अपिव दर्जे की गणना तिथि के रूप में ली जाएगी और यह समझने के लिए भी कि आवेदक क्रीमी लेयर में नहीं आता है ।
4.	परिशिष्ट-III(ए)			स्वयं आवेदक
5.	परिशिष्ट-IV	साजीसीई		कार्यालय प्रधान या विभागीय प्रधान
6.	परिशिष्ट-IV(ए)	ईए/सीजीसी ई		स्वयं आवेदक
7.	परिशिष्ट-V	भूपूँसै		कमान अफसर
8.	परिशिष्ट-V(ए)			स्वयं आवेदक
9.	परिशिष्ट-VI	फार्म-II	दिव्यांग व्यक्ति	चिकित्सा बोर्ड के सदस्य अध्यक्ष तथा चिकित्सा अधीक्षक/मु.चि.अ./चिकित्सालय के प्रधान द्वारा प्रतिहस्ताक्षित
		फार्म-III		
		फार्म-IV		

आवेदन के पंजीकरण/ऑनलाइन जमा करने की प्रक्रिया/
अनुदेश

1. चयन पदों के लिए आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को <http://ssconline.nic.in/sscselectionpost> पर स्वयं का पंजीकरण करना होगा । अभ्यर्थी एक बार पंजीकरण करके कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित किसी भी चयन पद के लिए आवेदन कर सकता है।
2. अभ्यर्थियों के लिए पंजीकरण की सुविधा वेबसाइट <http://ssconline.nic.in/sscselectionpost> पर पूरे वर्ष उपलब्ध है।
3. अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पंजीकरण फार्म/आवेदन पत्र भरने से पहले वेबसाइट <http://ssconline.nic.in/sscselectionpost> के पंजीकरण/ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में दिए गए अनुदेशों को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए।
4. अनुदेशों को पढ़ने के पश्चात् अभ्यर्थियों को पंजीकरण भाग में जाना चाहिए तथा ऑनलाइन पंजीकरण फार्म भरना चाहिए।
5. पंजीकरण भाग में अभ्यर्थियों को स्वयं से संबंधित मूलभूत सूचना भरनी होगी। विवरण जमा करने पर फार्म जमा करने से पहले अभ्यर्थी को विवरण की जांच करने और आवेदन पत्र में किसी प्रकार का सुधार करने का सुझाव दिया जाएगा।
6. अभ्यर्थी को ऑनलाइन पंजीकरण/आवेदन पत्र भरते समय सभी अपेक्षित सूचना प्रदान करनी चाहिए। अनिवार्य क्षेत्र को तारक चिह्न से अंकित किया गया है।

7. पंजीकरण फॉर्म जमा करने पर पंजीकरण आईडी तथा पासवर्ड वाला पृष्ठ तैयार हो जाएगा। पंजीकरण आईडी तथा पासवर्ड को लिख लें तथा उन्हें सुरक्षित रखें।
8. यह आपका स्थायी पंजीकरण आईडी तथा पासवर्ड होगा जो चयन पदों के आवेदन के लिए अपेक्षित होगा।
9. पंजीकरण फॉर्म जमा करने पर अभ्यर्थी को अपने हाल ही के निर्धारित आकार के रंगीन फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर ऑपलोड करने होंगे।
10. फोटोग्राफ के फाइल का डिजिटल आकार 4 केबी से ज्यादा तथा 20 केबी से कम होना चाहिए तथा इसका रेजाल्यूशन 100 पिक्सल चौड़ाई का तथा 120 पिक्सल ऊँचाई का होना चाहिए।
11. हस्ताक्षर जेपीजे फॉर्मेट में ऑपलोड करना चाहिए। हस्ताक्षर फाइल का डिजिटल आकार 1 केबी से ज्यादा तथा 12 केबी से कम होना चाहिए तथा इसका रेजाल्यूशन 40 पिक्सल चौड़ाई का तथा 60 पिक्सल ऊँचाई का होना चाहिए।
12. अभ्यर्थी द्वारा फोटोग्राफ और हस्ताक्षर ऑपलोड करने के पश्चात् ही पंजीकरण पूरा होगा।
13. पंजीकरण भाग पूरा करने के पश्चात् अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना चाहिए।
14. पहले से पंजीकृत अभ्यर्थी प्रणाली में ऑगईन कर सकते हैं तथा आवेदन पत्र भर सकते हैं।
15. अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले विज्ञप्ति के अनुदेशों की सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए।

16. ऑनलाइन आवेदन (डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से शुल्क का भुगतान सहित) की सुविधा 27.08.2016 से 26.09.2016 (सायं 5.00 बजे) तक उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी जो भारतीय स्टेट बैंक के चालान के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं वह 26.09.2016 तक बैंक के कार्य समय के भीतर भारतीय स्टेट बैंक की निर्दिष्ट शाखा में भुगतान कर सकते हैं, बशर्ते कि चालान दिनांक 26.09.2016 को सायं 5.00 बजे से पहले जेनरेट किया गया हो। चालान निकालने की सुविधा केवल दिनांक 26.09.2016 (सायं 5.00 बजे) तक उपलब्ध होगी।
17. आवेदन भाग में भुगतान का ब्यौरा भरना भी अपेक्षित है।
18. भारतीय स्टेट बैंक के चालान के माध्यम से शुल्क भुगतान के लिए अभ्यर्थी को आवेदन भाग के पूर्ण होने के पश्चात् ऑनलाइन निकाले गए चालान का प्रिंट लेना चाहिए तथा भारतीय स्टेट बैंक के देय शाखा में अपेक्षित शुल्क जमा करना चाहिए। उसके बाद प्रणाली में अपने पंजीकरण आईडी तथा पासवर्ड सहित लॉगईन करें तथा निर्धारित तिथि और समय के भीतर विवरण जमा करें।
19. आवेदन पत्र में परिवर्तन/सुधार के लिए किए गए अनुरोध पर किसी भी पररिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।
20. फोटोग्राफ/हस्ताक्षर रहित अथवा धुंधले फोटोग्राफ/हस्ताक्षर वाले अथवा किसी भी रूप में अपूर्ण आवेदन पत्र को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

जो अभ्यर्थी किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करते हैं, उन्हें अपने दावे के समर्थन में नीचे दिए गए प्रपत्र पर जिलाधिकारी या परगनाधिकारी या उस जिले जिसमें उनके माता-पिता(या जीवित माता-पिता) सामान्यतः रहते हों, के नीचे दिए गए किसी भी अधिकारी, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकृत किया गया हो, से प्राप्त प्रमाणपत्र की एक अनुप्रमाणित/सत्यापित प्रति जमा करनी चाहिए। यदि उसके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जिसमें अभ्यर्थी अपनी शिक्षा के उद्देश्य के अतिरिक्त सामान्यतः रहता हो। जहां कहीं फोटोग्राफ प्रमाणपत्र का आवश्यक अंग है, वहां आयोग ऐसे प्रमाणपत्रों की केवल प्रमाणित फोटो प्रतियां ही स्वीकार करेगा न कि कोई अन्य प्रमाणित या सही प्रतिलिपि।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*.....

.....

पुत्र/पुत्री.....निवासी ग्राम/कस्बा*

..... जिला/संभाग*.....राज्य/संघ राज्य

क्षेत्र*.....केजाति/जनजाति से संबंधित हैं जो

निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश,

1950.....

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश,
1950.....

संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश,
1951*.....

संविधान (अनुसूचित जनजाति)संघ राज्य क्षेत्र
आदेश,1951*.....

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश,1956
बम्बई पुनर्गठन अधिनियम,1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम,1966,
हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम,1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम,
1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन)
अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित ।

संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश,
1956.....

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन अधिनियम)
1976* द्वारा यथा संशोधित संविधान

(अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश,1959

संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश,1962

संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश,1962@

संविधान(पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश,1964@

संविधान(अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश,1967@

संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश,1968@

संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश,1968@

संविधान(नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश,1970@

संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश,1978@

संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश,1978@

संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश,1989@

संविधान(अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम,1990@

संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश,1991@

संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन)
अधिनियम,1991@

संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश,1996

2 यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं ।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी*

.....के माता/पिता

श्री/श्रीमती.....निवासी

ग्राम/कस्बा*.....जिला/संभाग*.....राज्य/सं

घ राज्य क्षेत्र*..... को जारी किए गए

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो ... जाति/जनजाति से संबंधित हैं

जो..... दिनांकद्वारा

जारी.....राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

3 श्री/श्रीमती/कुमारी..... और/या* उनका परिवार

सामान्यतः ग्राम/कस्बा*.....

जिला/संभाग*.....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र.....में

रहता है ।

हस्ताक्षर.....

****पदनाम.....**

स्थान.....

(कार्यालय की

मुहर सहित)

दिनांक.....

***जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें ।**

@राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें ।

% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें ।

टिप्पणी:- यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है ।

****जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची :-**

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टार्डपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।

(iv) क्षेत्र का सब डिविजनल आफीसर जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

टिप्पणी :- तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को केवल राजस्व मंडलीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए ।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि

पुत्र/पुत्री ग्राम

जिला/संभागराज्य

समुदाय से संबंधित हैं जो भारत सरकार, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या..... के अंतर्गत पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है

श्री/श्रीमती/कु..... तथा/या उनका परिवार

सामान्यतः.....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के

जिला/संभाग में रहता/रहते हैं ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं 36012/22/93-स्था -(एससीटी), दिनांक 8 9 1993 ** की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमीलेयर) से संबंधित नहीं हैं।
दिनांक:

कार्यालय का मुहर:

जिलाधीश या

उपायुक्त आदि।

*-जो प्राधिकारी ये प्रमाणपत्र जारी कर रहे हैं, उन्हें जहां भी उम्मीदवार की जाति अपिव उल्लिखित है, वहाँ भारत सरकार के संकल्प संख्या का विवरण देना होगा।

** - * समय समय पर यथा संशोधित।

टिप्पणी I(क):- यहां प्रयुक्त सामान्यतः शब्द का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है ।

(ख): जाति प्रमाणपत्र जारी करने सक्षम प्राधिकारी नीचे दिए गए हैं :-

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टार्डपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/ तालुका मजिस्ट्रेट अतिरिक्त सहायक आयुक्त/एकजीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।(प्रथम श्रेणी बैतनिक मजिस्ट्रेट के रैंक से नीचे का न हो)

- (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट
- (iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।
- (iv) क्षेत्र का सब डिविजनल आफिसर जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

आयु में छुट, आरक्षण आदि के लिए अपिव उम्मीदवारों द्वारा जमा किए जाने वाले घोषणा

(कृपया सूचना के अनुच्छेद-9 (ख) को देखें)

मैं-----श्री-----के -----
पुत्र/पुत्री

-----ग्राम/नगर/शहर-----जिला-----राज्य-----
----- का निवासी एतदद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैं-----
-----समुदाय से संबंधित हूँ जो भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या-----दिनांक-----
के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के सोद्देश्य से पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता है। ये भी घोषित किया जाता है कि मैं उपरोक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 8-9-2016 की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमीलेयर) से संबंधित नहीं हूँ।

*(अभ्यर्थी का पूरा हस्ताक्षर)

स्थान:

दिनांक:

आयु में छूट चाहने वाले केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाणपत्र का प्रपत्र

(उस विभाग या कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा भरा जाए जहां अभ्यर्थी कार्यरत हैं)

(कृपया विज्ञप्ति का पैरा -9(ड.) देखें)

यह प्रमाणित किया जाता है कि *श्री/श्रीमती/कुमारी _____ केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी हैं जो _____ रु. के वेतनमान में _____ के पद पर कार्य कर रहे/रही हैं। उन्हें दिनांक----- को इस ग्रेड में नियमित आधार पर सेवा करते हुए 3 वर्ष हो गए हैं।

हस्ताक्षर _____

नाम एवं पदनाम _____

कार्यालय की मुहर _____

स्थान:

दिनांक:

(* कृपया जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें)

केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के घोषणा सहित सभी आवेदक कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा

(कृपया विज्ञप्ति का पैरा -9(च) देखें)

मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को पहले ही लिखित में सूचित किया है कि मैंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है तथा आवेदन जमा करने की तिथि तक मेरे खिलाफ न तो कोई सतर्कता निकासी लम्बित है अथवा अवेक्षित है।

मैं इसके अतिरिक्त निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत कर रहा हूँ:

नियुक्ति की तिथि

वर्तमान पद तथा वेतनमान

दूरभाष सं./फैक्स/ई-मेल सहित कर्मचारी का नाम व पता

स्थान तथा दिनांक:

*आवेदक का पूरा हस्ताक्षर

सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाणपत्र का प्रपत्र
(संगठन के पत्र शीर्ष पर)
(कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा 9 (घ) को देखें)

मैं एतद्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार
(नंबर).....(रैंक).....(नाम).....
.....(दिनांक).....को
सशस्त्र सेना में अपनी नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेंगे ।

(कमांडिंग अधिकारी के हस्ताक्षर)
कार्यालय की मुहर:

स्थान:
दिनांक:

भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों द्वारा दिया जाने वाला घोषणा

मैं यह जानता/जानती हूँ कि यदि उस भर्ती/ परीक्षा, जिससे यह आवेदन पत्र संबंधित है के आधार पर यदि मेरा चयन हो जाता है, तो मेरी नियुक्ति, नियोक्ता प्राधिकारी को मेरे द्वारा प्रस्तुत कागजी साक्ष्य पर उसकी इस संतुष्टि के अधीन होगी कि मुझे सशस्त्र सेना से विधिवत निर्मुक्त/ सेवानिवृत्त / कार्यमुक्त कर दिया गया है तथा मैं भूपूँ (समय समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय नागरिक सेवाओं और पदों पर पुनर्नियुक्ति नियम, 1979) की शर्तों के अधीन भूपूँ को देय लाभों का अधिकारी हूँ ।

मैं यह भी समझता/समझती हूँ कि यदि मैंने किसी भी समय इस नियुक्ति से पहले सिविल क्षेत्र (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय / सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, आदि सम्मिलित हैं) में भूपूँ के लिए स्वीकार्य रिक्तियों के आरक्षण की रियायत का लाभ उठाते हुए कोई रोजगार प्राप्त किया हो तो मैं इस परीक्षा के अंतर्गत आने वाली भर्ती के संबंध में भूपूँ के लिए आरक्षित रिक्ति पर नियुक्ति का पात्र नहीं हूँगा/ हूँगी ।

मैं इसके अतिरिक्त निम्नलिखित सूचना देता/देती हूँ:

- क) सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तिथि
- ख) कार्यमुक्त की तिथि
- ग) सशस्त्र बलों में सेवा की अवधि
- घ) मेरी अंतिम यूनिट/कोरड.) पुनः नियुक्ति का ब्यौरा, यदि कोई

(अभ्यर्थी के पूरे हस्ताक्षर)

स्थान :

दिनांक :

निःशक्तता प्रमाण पत्र
(विच्छेदन या अंग के पूरे स्थायी पक्षाघात के मामले में एवं अधापन के मामले में)
(नियम 4 देखें)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

प्रमाणपत्रसंख्या.....

दिनांक.....प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/
श्रीमती / कुमारी-----सुपुत्र/ पत्नी /
सुपुत्री -----जन्म तिथि -----
-----आयु..... (दि./म./व.)पुरुष/महिला----- की सावधानीपूर्वक
जांच की है ।

निःशक्त व्यक्ति का
हाल ही का पासपोर्ट
आकार का
अनुप्रमाणित फोटो
(केवल चेहरे का)

पंजीकरण संख्या.....स्थायी आवास मकान
नं.....

वार्ड/गांव/गली.....डाकघर.....जिला.....

राज्य.....

जिनका ऊपर फोटो चिपकाया गया है एवं मैं संतुष्ट हूँ कि:-

(क) उनका मामला :

- गतिविषयक विकलांगता
- नेत्रहीनता का है
(जैसा भी लागू हो, निशान लगाएं)

(ख) उनके मामले में.....निदान किया गया है ।

(क) वे दिशानिर्देशों के अनुसार अपने.....(शारीरिक अंग)(उल्लेख करें) के
संबंध में

.....%(अंकों में).....प्रतिशत (शब्दों में) स्थायी शारीरिक क्षति/नेत्रहीनता से पीड़ित हैं ।

2. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज जमा किए हैं :-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तिथि	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर एवं मुहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

निःशक्तता प्रमाण पत्र
(बहु विकलांगता के मामले में)
(नियम 4 देखें)

प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम
एवं पता

निःशक्त व्यक्ति का हाल
ही का पासपोर्ट आकार का
अनुप्रमाणित फोटो (केवल
चेहरे का)

प्रमाणपत्र संख्या.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी-----
-----सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री -----जन्म तिथि --
-----आयु..... (दि./म./व.)

.....पुरुष/महिला----- की सावधानीपूर्वक जांच की है ।

पंजीकरण संख्या.....स्थायी आवास मकान
नं.....

वार्ड/गांव/गली.....डाकघर.....जिला.....

राज्य.....जिनका ऊपर फोटो चिपकाया गया है एवं मैं संतुष्ट हूँ कि:-

(क) उनका मामला बहु-विकलांगता का है । निःशक्तता के लिए दिशा निर्देशानुसार(ब्योरा दिया जाए) उनकी स्थायी शारीरिक क्षति/निःशक्तता के स्तर का मूल्यांकन किया गया है एवं इसे मार्क करके निम्नलिखित सारणी में संगत निःशक्तता के सामने दर्शाया गया है :

क्रम सं.	निःशक्तता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/ मानसिक
----------	-----------	-------------------------	-------	---------------------------------

				विकलांगता(%में)
1.	गति विषयक विकलांगता	@		
2.	अल्प दृष्टि	#		
3.	नेत्रहीनता	दोनों आँखें		
4.	श्रवण विकलांगता	£		
5.	मानसिक मंदता	X		
6.	मानसिक बीमारी	X		

कृपया उस निःशक्तता को काट दें जो लागू न हो

(@ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगें)

उदाहरणतः एक आँख/दोनों आँखें

£ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों कान)

(ख) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, दिशा-निर्देशानुसार(ब्यौरा दिया जाए) उनका/उनकी समग्र शारीरिक क्षति निम्नानुसार है :-

अंकों में.....प्रतिशत

शब्दों मेंप्रतिशत

2. यह स्थिति प्रगामी है/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है ।

3. निःशक्तता का पुनःनिर्धारण :

(i) आवश्यक नहीं है

अथवा

(ii)वर्षमाह के पश्चात पुनःनिर्धारण की सिफारिश की जाती है और

इसलिए यह प्रमाणपत्र तक मान्य रहेगा ।

तारीख

माह

वर्ष

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज जमा किए हैं :-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तिथि	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा
--------------------	-------------------	--

--	--	--

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

--	--	--

सदस्य का नाम एवं मुहर	सदस्य का नाम एवं मुहर	अध्यक्ष
का नाम एवं मुहर		

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

निःशक्तता प्रमाण पत्र
(प्रारूप II एवं III में उल्लिखित मामलों को छोड़कर)
(नियम 4

देखें)

प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम
 एवं पता

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही
 का पासपोर्ट आकार का
 अनुप्रमाणित फोटो (केवल
 चेहरे का)

प्रमाणपत्र संख्या.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी-----
 -----सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री -----जन्म तिथि --
 -----आयु.....

(दि./म./व.)

.....पुरुष/महिला----- की सावधानीपूर्वक जांच की है ।

पंजीकरण संख्या.....स्थायी आवास मकान
 नं.....

वार्ड/गांव/गली.....डाकघर.....जिला.....

राज्य.....जिनका ऊपर फोटो चिपकाया गया है एवं मैं संतुष्ट हूँ कि
 उनका मामला.....निःशक्तता है । निःशक्तता के लिए(ब्योरा दिया जाए) दिशा
 निर्देशानुसार(ब्योरा दिया जाए) उनकी स्थायी शारीरिक क्षति/निःशक्तता के स्तर का
 मूल्यांकन किया गया है एवं इसे निम्नलिखित सारणी में उपयुक्त निःशक्तता के सामने
 दर्शाया गया है :-

क्रम सं.	निःशक्तता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/ मानसिक विकलांगता(%में)
1.	गति विषयक विकलांगता	@		

2.	अल्प दृष्टि	#		
3.	नेत्रहीनता	दोनों आँखें		
4.	श्रवण विकलांगता	£		
5.	मानसिक मंदता	X		
6.	मानसिक बीमारी	X		

(कृपया उस निःशक्तता को काट दे जो लागू न हो)

(@ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगें)

उदाहरणतः एक आँख/दोनों आँखें

£ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों कान)

2. उपर्युक्त स्थिति प्रगामी है/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है ।

3. निःशक्तता का पुनःनिर्धारण :

(i) आवश्यक नहीं है

अथवा

(ii)वर्षमाह के पश्चात पुनःनिर्धारण की सिफारिश की जाती है और

इसलिए यह प्रमाणपत्र तक मान्य रहेगा ।

तारीख

माह

वर्ष

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज जमा किए हैं :-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तिथि	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर (नाम एवं मुहर) यदि प्रमाणपत्र जारी करने वाला चिकित्सा प्राधिकारी सरकारी कर्मचारी नहीं है तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/सरकारी हस्पताल के प्रमुख के प्रति हस्ताक्षर एवं मुहर